Ok"ki % 40(vad % 11 (uoEcj % 2018(eY; % nl #lk,

सीटू मजदूर

सीटू वर्किंग कमेटी मीटिंग के दौरान

विशाखापट्टनम में जन सभा एवं रैली

(रिपोर्ट पेज 5)

सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक

विशाखापटनम, 1–3 नवम्बर, 2018

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk e[ki=

नवम्बर 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

lhVw ofdx deZh cSBd 5

ifrKk dk uohuhdj.k djs

& ,- d- iùukHku 13

vk;qZ"eku Hkkjr

& t-,l- etenkj 15

cgjk"Vªh; vkVkekckbZy dEifu;ka

e etnjksa dh cMh yMkbZ

&vkj- d#eyk;e 19

m|ksx o {ks= 23

jkT;ksa ls 24

miHkksDrk eY; lqjkk 26

सम्पादकीय

8–9 जनवरी की आम हड़ताल की ओर

मजदूरों की दो दिनी आम हड़ताल का आह्वान हो गया है। यह हड़ताल 8,9 जनवरी 2019 को होगी। सभी ट्रेड यूनियनों ने – केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, फेडरेशने तथा यूनियनों – संगठन के हर स्तर पर देश भर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। हड़ताल की 12 सूत्री मांगों और इनके पीछे निहित नीतियों व राजनीति को समझाने, मजदूर विरोधी, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी भाजपा को सत्ता से हटाने के निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए बड़ी भागीदारी वाले सघन एवं व्यापक अभियान शुरू कर दिए गए हैं। मजदूरों और आम अवाम के बीच सभाओं, हड़ताल के दोनों दिन मजदूरों की लामबन्दी की तैयारियां संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रो के मजदूरों के बीच जारी हैं। संगठित–असंगठित, निजी–सार्वजनिक, उद्योग–सेवाएं हर क्षेत्र के प्रत्येक मजदूर तक पहुंचने की योजना है। अभियान को सदस्यता की सीमाओं से परे व्यापकतम इलाकों में ले जाया जा रहा है।

सभी पुराने अनुभव बताते हैं कि आम हड़ताल में सभी मजदूरों, आह्वानकर्ता संगठनो और उनकी सदस्यता के दायरों से बाहर के मजदूरों की स्वतःस्फूर्त भागीदारी बड़े पैमाने पर होती है। जाहिर है यह भागीदारी हमारे अभियान, जनता और उसकी जीवन दशाओं से जुड़े मुद्दों; उन जनमुद्दों जिन्हें मजदूर वर्ग ने भी अपना मुद्दा बनाया हुआ है, पर अभियान की नई संभावनाओं, उसकी परिधि के नए आयामों को सामने लाती है।

ट्रेड यूनियनों को किसानों, खेतमजदूरों सहित छात्र, युवा, महिलाओं के जनसंगठनों, सांस्कृतिक मोर्चे के अलमबरदारों, स्वरोजगार से जुड़े तबकों और प्रोफेशनल्स इत्यादि के साथ भी संपर्क साधने होंगे। उनसे अधिकतम समर्थन और एकजुटता कार्यवाहियों में उनकी बढ़ी चढ़ी भागीदारी हासिल करनी होगी। यह सब मिलकर 8–9 जनवरी की हड़ताल को एक जबरदस्त साझी जनकार्यवाही में बदल देंगे। जनता और मजदूरों की ऐसी एकता सत्तावर्गों की दलाल साम्प्रदायिक और फूटपरस्त शक्तियों के ऊपर भी एक करारा आघात होगी। यह एकता सामाजिक रूप से शोषित और दमित तबकों में भी बड़ा उत्साह पैदा करेगी।

मजदूरों की यह हड़ताल और उसके समर्थन की कार्यवाहियों से जो गर्मी पैदा होगी वह वह आगामी आमचुनाव तक जाएगी । मौजूदा सरकार और आनेवाली सरकार दोनों को मजदूर विरोधी, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध साफ और कड़ा संदेश देगी। मजदूर हितैषी–जन हितैषी वैकल्पिक नीतियों वाले राज का रास्ता हमवार करेगी।

इस हड़ताल में एक तरफ मजदूर वर्ग और मेहनतकशों तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स के सत्तासीनों और उनके लगुओं भगुओं का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।

आइये, पूरी ताकत के साथ 8–9 जनवरी 2019 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की ओर बढ़ें। इसे न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से कामयाब बनायें बल्कि इसके मकसद तक पहुंचाएं।

सीटू वर्किंग कमेटी मीटिंग

1–3 नवम्बर, 2018

भविष्य के कार्य

- अभियान की योजना बनाने और अभियान सामग्री तैयार करने के लिए सभी सीटू राज्य कमेटियों की दो दिन की बैठकें– नवंबर में पूरा होनी हैं;
- संबंधित क्षेत्रों और सैक्टरों में योजना को ठोस रुप देने के लिए सीटू की जिला कमेटियों और राज्य स्तरीय यूनियनों की राज्य कमेटियों की बैठकें – नवंबर के अंत तक पूरा होनी हैं;
- यूनियनों की निचले स्तर की कमेटियों की बैठकें और आम सभाएं दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरी की जाएंगी;
- 30 नवंबर को किसानों के 'लांग मार्च' के साथ एकजुटता की कार्रवाहियाँ;
- नवंबर के अंदर ही असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ के कवरेज पर असंगठित मजदूरों के बीच सर्वेक्षण करना, और ठोस तथ्यों के माध्यम से भाजपा सरकार के झूठे दावों का पर्दाफाश करना; तथा
- कामकाजी महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों पर 13–19 दिसम्बर 2018 के दौरान सप्ताह भर का अभियान।

क्रेडेन्शियल कमेटी की रिपोर्ट

बैठक में भाग लेने वालों के बारे में

कुल 35 में से 22 पदाधिकारी (7 महिलाएं); कुल 125 में 85 अन्य वर्किंग कमेटी के सदस्य (13 महिलाएं); और राज्यों और फेडरेशनों से 15 आमंत्रितों ने बैठक में भाग लिया।

नई संबद्धताएं

सीटू से संबद्ध होने के लिए 151 यूनियनों के आवेदन, जिसमें 59,308 (8,854महिलाएं) की सदस्यता के साथ प्राप्त हुए थे; वर्किंग कमेटी द्वारा 149 यूनियनों की संबद्धताओं और कुछ प्रावधानों को पूरा करने के साथ 2 यूनियनों को अंतरिम संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

नई यूनियनों की संबद्धताओं का राज्यवार ब्यौराः आंध्र प्रदेश– 52 (21,534 सदस्य); हिमाचल प्रदेश–2 (212 सदस्य); कर्नाटक–5 (3,716 सदस्य); केरल–34 (24,536 सदस्य); महाराष्ट्र–5 (1,142 सदस्य)9 ओडिशा–4 (363 सदस्य)9 पंजाब–1 (126 सदस्य); राजस्थान–2 (200 सदस्य); तमिलनाडु–2 (1,716 सदस्य); तेलंगाना –41 (5,44 9 सदस्य); उत्तर प्रदेश–2 (213 सदस्य); और उत्तराखंड–1 (101 सदस्य)।

सीटू वर्किंग कमेटी मीटिंग

विशाखापटनम, 1–3 नवम्बर, 2018

दो दिवसीय आम हड़ताल की ओर बढ़ें

आह्वान

नवउदारवादी नीतियों को उलट दो

जनता की एकता की रक्षा करो

साम्प्रदायिक–विभाजनकारी ताकतों को परास्त करो

- 1–3 नवंबर, 2018 को विशाखापटनम में आयोजित सीटू की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर – नवउदारवादी नीतियों को पलटने; – जनता की एकता की रक्षा करने और – सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने – केंद्र में भाजपानीत मोदी सरकार और देश के शासक वर्गों की नीतियों और हमलों के खिलाफ 8–9 जनवरी, 2018 को देशव्यापी 2 दिवसीय आम हड़ताल की सफलता के लिए देशव्यापी व्यापक अभियान शुरू करने के लिए देश के मजदूर वर्ग का आह्वान किया है।

  वर्किंग कमेटी ने मजदूरों की इस आम हड़ताल के लिए मेहनतकश लोगों और समाज के प्रगतिशील और लोकतांत्रिक वर्गों के सभी तबकों से एकजुटता और समर्थन लेने का फैसला किया है।

- वर्किंग कमेटी ने, 29–30 नवंबर, 2018 को दिल्ली में होने जा रहे किसानों के लांग मार्च को समर्थन करने और एकजुट कार्रवाहियां आयोजित करने के लिए आम मजदूरों और अपनी इकाइयों, यूनियनों का आह्वान किया है।

- अपने शुरुआती सत्र में वर्किंग कमेटी ने, निजीकरण के खिलाफ हरियाणा के सड़क परिवहन मजदूरों और चेन्नई एवं बेंगलुरू में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स विनिर्माण कंपनियों के मजदूरों की चल रही जुझारु हड़तालों और संघर्षों के प्रति एकजुटता और समर्थन प्रदान करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया।

  समापन सत्र में, वर्किंग कमेटी ने हरियाणा परिवहन मजदूरों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी, जब पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय ने हड़ताली परिवहन और सहायक मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार के हर दंडनीय और प्रताड़ित करने वाली कार्यवाहियों रोक लगा दी और सरकार–यूनियन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की तारीख तय कर दी जिसके आधार पर हड़ताल वापस ली गयी।

  वर्किंग कमेटी ने दिल्ली के मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी के लिए उनकी सफल हड़तालों एवं संघर्ष और अंतिम आदेश लंबित रखकर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के लिए बधाई दी। वर्किंग कमेटी ने गुजरात में ऑटोमोबाइल मजदूरों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त की।

- एक प्रस्ताव द्वारा वर्किंग कमेटी ने 1 नवंबर को असम में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा के माहौल में पांच निर्दोषों की हत्या की निंदा की जो कि राज्य में आरएसएस/भाजपा की नीति के बड़े डिजाइन के हिस्से के रूप में है और मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि सभी मेहनतकशों और लोकतांत्रिक तबकों की एकता के माध्यम से इस चाल को परास्त करें।

- वर्किंग कमेटी ने केरल की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिन्होंने एकजुट होकर गंभीर बाढ़ का सामना किया; राज्य के मजदूर वर्ग, विशेष रूप से मछुआरों, बिजली कर्मचारियों, हेड लोडर, निर्माण और योजना मजदूरों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य लोगों को बधाई दी, जिसने राज्य को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लाने में अनुकरणीय वचनबद्धता और समर्पण का प्रदर्शन किया; और शीघ्र और प्रभावी बचाव और राहत अभियान के लिए एलडीएफ राज्य सरकार की सभी ने सराहना की है, को बधाई दी है।

मीटिंग

- राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, 122 वर्किंग कमेटी के सदस्यों और आमंत्रितों ने भाग लिया, अध्यक्ष हेमलता द्वारा सीटू के ध्वजारोहण के साथ मीटिंग शुरू हुई। हेमलता ने अध्यक्षता की। रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन और सीटू की आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष ची. नरसिंगा राव ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। हेमलता के अध्यक्षीय के संबोधन के बाद, कोषाध्यक्ष एम एल. मलकोटिया द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किया। महासचिव तपन सेन ने भावी कार्यों सहित महासचिव की रिपोर्ट पेश की।

  हेमलता ने संगठनात्मक तैयारी और अभियान पर भावी कार्यों पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया, जो निचले स्तर की यूनियन कमेटियों को सक्रिय करने और अभियान में सीटू के सभी सदस्यों को शामिल करने के महत्व को रेखांकित करता है। क्रेडेंशियल रिपोर्ट एम एल मालकोटिया द्वारा रखी गई।

  रिपोर्ट पर चर्चा में 50 सदस्यों ने भाग लिया, अनुमोदित निरुपण और भविष्य के कार्यों को समृद्ध समर्थन दिया। महासचिव द्वारा संक्षेप में समापन करने के बाद, कार्यों सहित रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गयी। हेमलाता ने स्टील प्लान्ट एम्पलाईज यूनियन और सीटू की विशाखापत्तनम सिटी कमेटी और इसकी आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी का, प्रभावी ढंग से बैठक आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया।

जन–सभा

- 1 नवंबर की शाम को वर्किंग कमेटी की बैठक के अवसर पर, सीटू विजाग सिटी कमेटी ने शहर के गजुवाका में एक प्रभावशाली रैली और जन–सभा आयोजित की, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के हजारों औद्योगिक मजदूर शामिल हुए; यह जन–सभा ची. नरसिंगा राव की अध्यक्षता में हुई और इसे सीटू अध्यक्ष हेमलता, महासचिव तपन सेन, इसके राष्ट्रीय सचिव और राज्य महासचिव एम ए गफूर द्वारा संबोधित किया गया।

महासचिव की रिपोर्ट की मुख्य बातें

- महासचिव की रिपोर्ट का प्रमुख्य हिस्सा मुख्य रूप से कोझिकोड जीसीएम के निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा; भविष्य के कार्यों; और 8–9 जनवरी 2019 को दो दिवसीय आम हड़ताल के लिए प्रभावी तैयारी पर केंद्रित था।

- रिपोर्ट में भाजपानीत मोदी सरकार के मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों का खुलासा किया गया है – देश की विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करना; – देश के संसाधनों को लूटने के लिए घरेलू और विदेशी बड़े कॉरपोरटस् की सुविधा; – मजदूरों के शोषण को बढ़ाने और उनकी बचत और सामाजिक सुरक्षा की लूट को बढ़ाने के उपायों को संस्थागत बनाना; – 'फिक्स्ड टर्म रोजगार', राष्ट्रीय नियोक्तायता मिशन (एनईईएम), अपरेंटिस प्रोग्राम के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार (एनईपीएटी) इत्यादि जैसी अधिसूचनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 'हायर एण्ड फायर' शुरू करना; – जीडीपी में वृद्धि के दावों के बावजूद, रोजगार में गिरावट है;

  कॉरपोरटस्/व्यवसायिक घरानों को सार्वजनिक फण्डों के संगठित हस्तांतरण की कोशिशें और इसके लिए नई–नई विधियां खोजना, जैसे ऋणशोधन दिवालियापन संहिता की अध्यक्षता राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी; इस प्रक्रिया के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कॉरपोरट बकाऐदारों से ऋण वसूलने के लिए दृढ़ उपाय करने के बजाय एनपीए के 'केश कटायी' से गुजरने के लिए मजबूर है।

एनपीए की केश कटायी

''आईबीसी अधिनियम के अनुसार कार्यवाही के लिए एनसीएलटी के समक्ष लगभग 1000 ऐसे मामले पंजीकृत हैं। और कुछ मामलों को अंतिम रूप दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप देनदार और दिवालिया कंपनी के स्वामित्व को किसी अन्य कॉरपोरेट इकाई में बदल दिया गया है। क्या बैंकों के संघ के संबंधित बैंक के पक्ष में पूरा ऋण वसूल किया जा सका है? उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, निपटाए गए ज्यादातर मामलों में, संबंधित प्रतिष्ठान पर बकाया कुल ऋण का औसतन 25 से 30 प्रतिशत से ज्यादा बैंक को नहीं मिल सका है। उन्हें अपराध के साथी के रूप में कुल ऋण का लगभग 75% बलिदान करने के लिए मजबूर किया गया था। हाल ही में, भूषण स्टील को लगभग 35,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के बदले टाटा ने अधिग्रहण किया था, जो लगभग भूषण स्टील की कुल बैंक ऋण देनदारी 60,000 करोड़ रुपये का 41% है। एक और, मुकेश अंबानी की अगुआई वाली फर्म द्वारा 36,000 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋण के मुकाबले सिर्फ 6,000 करोड़ रुपये में एक और दिवालिया कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज को लिया जा रहा है। इसी प्रकार मोनेट इस्पात के मामले में, अब तक की सबसे बड़ी बोली ऋण देयता का केवल 24% है। यह जिंदल समूह द्वारा है, जिसके समूह में स्वयं ही बकाया ऋण कंपनियों की संख्या अनेक है। इस मामले में, एक बार निपटारा होने के बाद, बैंकों को कॉरपोरेटस बिरादरी के एक और के पक्ष में कुल ऋण का कम से कम 76% छोड़ना होगा। वित्त मंत्रालय में नीति निर्माताओं द्वारा इस प्रक्रिया को 'केश कटायी' कहा गया है। क्या इसे 'केश कटायी' कहा जा सकता है जब उस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण राशि का जबरदस्त हिस्सा काटा जा रहा है, वह भी एनपीए की वसूली के नाम पर? यह देश की बैंकिंग प्रणाली का 'सिर काटने' के अलावा कुछ भी नहीं है और देश के साथ इस तरह के अपराध को छिपाने के लिए केवल अपराधी ही इसे 'केश कटायी' कह सकते हैं।''

– निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा, रिपोर्ट ने सीटू की विभिन्न कमेटियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की;

लेकिन, आत्मालोचना में गंभीर रूप से नोट किया गया कि 5 सितंबर की 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' के लिए प्रचार करते समय संगठन पर अद्यतन दस्तावेज के साथ सभी स्तरों पर कमेटियों की समझ विकसित करके अधिक किया जा सकता था।

इस रिपोर्ट पर सबसे निचले स्तर की यूनियन कमेटियों को सक्रिय करने और सीटू के अभियानों में बड़ी संख्या में कैडरों, कार्यकर्ताओं, और सदस्यों को शामिल करने पर जोर दिया गया।

मजदूरों की 2 दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल के आने वाले अभियान के दौरान पहचानी गयी कमियों को दूर किया जाए।

- रिपोर्ट ने मजदूरों के बीच नवउदारवादी नीतियों को परास्त करने, एकता की रक्षा करने और मजदूरों के संयुक्त सघर्षों और किसानों एवं अन्य सभी मेहनतकश तबकों के साथ संयुक्त संघर्श को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में आम मजदूरों के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया है।

- रिपोर्ट ने ट्रेड यूनियन संबद्धताओं भिन्नता के बावजूद सभी मजदूरों तक पहुंचने के लिए मुद्दे के आधार पर विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- रिपोर्ट ने पूरे अभियान की राजनीतिक दिशा मौजूदा सत्तारूढ़ आरएसएस/भाजपा के षड़यंत्रों के खिलाफ पर जोर दिया, जो आक्रामक रूप से नवउदारवादी नीतियों और विभाजनकारी और विघटनकारी एजेंडे पर काम कर रहे हैं; चुनावों में भाजपा को हराऐं; और इन नीतियों के खिलाफ मौजूदा और आने वाली सरकारों को मजबूत संदेश भेजना।

- रिपोर्ट में सत्तारूढ़ वर्ग नीति परिवर्तनों के लिए और शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से संघर्षों का उच्च स्तर पर ले जाने के लिए पूर्व–आवश्यक शर्तों के रूप में, मजदूरों और किसानों की वर्गीय एकता को गहन और व्यापक करने पर जोर दिया।

- रिपोर्ट में सभी सीटू कमेटियों द्वारा सभी स्तरों पर, समान पारिश्रमिक, मातृत्व लाभ, क्रैच, यौन उत्पीड़न इत्यादि सहित महिलाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देने पर और मजदूरों की दो दिवसीय आम हड़ताल के अभियान में कामकाजी महिलाओं के मुद्दों को शामिल करना ताकि हड़ताल में महिला मजदूरों लामबन्द किया जा सके।

अध्यक्षीय भाषण के मुख्य बिन्दु

- पूरी दुनिया में मजदूर अपनी आजीविका, काम करने की स्थितियों और उनके कड़े संघर्षों से जीते अधिकारों पर सत्तारूढ़ वर्गों द्वारा हमलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुद्दे हमारे देश में लगभग वही हैं – निजीकरण, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि में कटौती, वेतन, श्रम कानूनों में संशोधन, संगठन के अधिकार, काम के हालातों में सुधार सहित व्यय की कमी आदि हैं।

- बढ़ते संघर्ष मजदूरों और अंर्तराष्ट्रीय वित्त निर्देशित नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ आम जनता के क्रोध को दर्शाते हैं।

- आईएमएफ की विश्व आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से अधिकांश, 2008 के संकट के पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अधिकांश देशों में निवेश 25% तक गिर गया है; रोजगार भी कम हो गया है। लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है क्योंकि उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हुई है। यह मानव श्रम की जगह तकनीक विशेषकर क्रत्रिम बुद्धिमत्ता से हासिल किया जा रहा है।

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'जॉब्स रिपोर्ट 2018 का भविष्य' का कहना है कि सात वर्षों में, 2025 तक, मशीनें 12 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यस्थलों के कार्यों को मनुष्यों से छीन लेंगी। विशिष्ट क्षेत्रों में 2022 तक, मशीनें और एल्गोरिदम आज के 29% के मुकाबले 42% कार्य करेंगे। यहाँ तक कि उन कार्यों को, जो अब तक मनुष्यों द्वारा व्यापक रूप से किए जा रहे हैं, जैसे कि संचार और बातचीत, समन्वय, विकास, प्रबंधन और सलाह देने के साथ–साथ तर्क और निर्णय लेने, स्वचालित होने लगेंगे। दुनिया भर में लगभग सभी कंपनियों ने ऑटोमेशन के माध्यम से अगले चार वर्षों में अपना पूर्णकालिक कार्यबल में कटौती की उम्मीद की है। भारत में इन क्षेत्रों में 54% कर्मचारियों को अपनी नौकरियां बरकरार रखने के लिए 2022 तक पुर्नप्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

- अगर प्रौद्योगिकी बाजारी ताकतों के नियंत्रण में बनी रही, तो अरबपति बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ाकर मानव श्रम की जगह रोबोटों द्वारा बनाया गया धन बटोर लेंगे। यदि प्रौद्योगिकी समाज के नियंत्रण में हो, तो इसका इस्तेमाल मजदूरों और आम जनता के हितलाभ के लिए किया जा सकता है।

- कुछ ही हाथों में तेजी से धन का संकेन्दण नवउदारवाद की एक परिभाषित विशेषता बन गया है। यह बताया गया है कि बड़ी कंपनियों ने बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। उनका जोड़ तोड़ ऐसा है कि 'वे खराब सेवा के लिए उँची कीमतें ले सकते हैं और कम मजदूरी का भुगतान कर सकते हैं।'

- संयुक्त राज्य अमरीका जो साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की नीतियों का अग्रणी था और इसे विकासशील देशों पर थोप रहा था, अब संरक्षणवादी नीतियों को अपना रहा है। यह राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन और निर्वाचित सरकारों को हटाने के माध्यम से अपनी विश्व आधिपत्य की विरासत को बरकरार रखे हुए है। यह वेनेजुएला, ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में हस्तक्षेप कर रहा है। यह फिलिस्तीनियों को मातृभूमि के अधिकार से इनकार करने में इजरायल का समर्थन जारी रखे हुए है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह चीन की घेराबन्दी की अपनी नीति को जारी रखे हुए है। इसने 250 अरब अमरीकी डालर के चीनी सामानों पर टैरिफ लगाए हैं। इसने अपनी युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में भेजी। इसने रूस से मिसाइलें आदि खरीदने के लिए चीनी सेना के खिलाफ प्रतिबंध लगाए।

- हालांकि, चीन ने इन उपायों के खिलाफ प्रतिरोध किया है। उसने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाया है। इसने चीनी नौसेना के 'जहाज विनाशक' के माध्यम से अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी दी है और अमेरिकी युद्धपोत को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में वापस ले गया है। इसने अमेरिकी राजदूत को बुलाया है और प्रतिबंधों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है और अमेरिका के दौरे से अपने नौसेना प्रमुख को वापस बुलाया है और सैन्य वार्ता स्थगित कर दी है।

- 1949 में, समाजवादी क्रांति के समय, चीन भारत से गरीब था। आज यह सभी क्षेत्रों में अमेरिका के साथ प्रतिस्पध र्ा करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह कृषि सुधारों, समाजवादी निर्माण के उद्देश्य से नियोजित औद्योगिक विकास जैसे क्रांति के बाद किए गए उपायों के आधार पर हासिल किया गया है। इसने 'सुधारों' के तहत बढ़ती असमानताओं को कम करने और लोगों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए न्यूनतम वेतन और आयकर के न्यूनतम स्तर को बढ़ाने, कृषि करों को समाप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सुरक्षा इत्यादि जैसे उपायों को उठाया है। इसने गरीबी को कम करने में सबसे तेजी हासिल की gSxj hch dks 3-1% तक कम किया है। इसने खाद्य सुरक्षा, कपड़े, अनिवार्य षिक्षा, बुनियादी चिकित्सा, आवास आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने और 2020 तक पूर्ण गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं।

- भाजपा सरकार, 'राष्ट्रवाद' और 'देशभक्ति' का एकमात्र संरक्षक होने की अपनी तमाम बकझक के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति सर्वव्यापी झुकाव को बेशर्मी से प्रदर्शित कर रही है। इसने संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (सीओएमसीएऐसए) पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राज्य अमेरिका के कनिष्ठ रणनीतिक साझेदार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। यह समझौता अमेरिका को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने और भारतीय सैन्य संचार की निगरानी करने की अनुमति देगा। भारतीय सैन्य और सशस्त्र बल पूरी तरह से अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो जाऐंगे; प्रौद्योगिकी और हथियार जो भारत ने पहले रूस जैसे अन्य देशों से खरीदे हैं, वो सभी असंगत हो जाऐंगे। यही वह स्तर है जिस तक मोदीनीत भाजपा सरकार ने देश के हितों को अमेरिकी साम्राज्यवादी और उस देश के बड़े निगमों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

- भाजपानीत सरकार अपने वायदों को भी लागू करने में असफल रही है। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवा और उच्च शिक्षित के बीच बढ़ रही है। अब यह 16% तक पहुंच गयी है। भारत के तथाकथित 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का वाष्पीकरण हो रहा है।

- श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई है जबकि मजदूरी के हिस्से में गिरावट जारी है। स्थायी मजदूरों को ठेका मजदूरों, आउटसोर्स किए गए मजूदरों, सावधि मजदूरों और राष्ट्रीय रोजगार क्षमता मिशन (एनईईएम), अपरेंटिसशिप प्रोग्राम (एनईटीएपी) आदि जैसे के माध्यम से प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। 92% महिलाएं और 82% पुरुष मजदूरों को प्रति माह 10000 रुपये से कम मजदूरी मिल रही है। 90% उद्योग, 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित और सरकार द्वारा स्वीकार्य न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करते हैं।

- भारत अब 'बिजनेस में आसानी के इंडेक्स' में 77वें स्थान पर है। इसने कर्मचारियों के अधिकारों और कामकाजी परिस्थितियों पर हमला करके इसे हासिल किया है। लेकिन मानव विकास सूचकांक में सुधार करने में इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में यह 100वें स्थान पर है। इसमें भूख, सबसे बड़ी संख्या में गरीब और दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या है।

- ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक (नाबार्ड) का सर्वेक्षण ग्रामीण लोगों की स्थितियों को दर्शाता है। केवल 48% ग्रामीण परिवारों को 'कृषक परिवार' माना जाता है। 52% गैर कृषि थे। कृषक परिवारों की औसत आय का लगभग

57% गैर कृषि स्रोतों से आता है; श्रम के वेतन से 50% है। ग्रामीण आय और व्यय में भारी असमानताएं हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि मजदूरों की स्थितियों का अध्ययन करना है और उन्हें संगठित करना है।

- भाजपा शासन के तहत सामाजिक उत्पीड़न बढ़ गया है जो आरएसएस की विचारधारा और मनुस्मृति द्वारा निर्देशित है। दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में कई गुना वृद्धि हुई है। साथ ही साथ दलित और महिलाएं भी अपने अधिकारों पर जोर दे रही हैं।

- यह इस स्थिति में है कि हमारे देश में मजदूरों और मेहनतकशों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। यह 5 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' में बड़े पैमाने पर लामबन्दी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मजदूरों और कर्मचारियों के सभी तबके इस अवधि के दौरान संघर्ष के रास्ते पर रहे हैं।

- हालांकि, अगर इन संघर्षों को उचित दिशा में निर्देशित नहीं किया जाता है, तो दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतें इस असंतोष का उपयोग करने की कोशिश करती हैं जैसे कि दुनिया के कई देशों में हो रहा है। दुनिया भर में 'व्यवस्था' के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह व्यवस्था काम नहीं कर रही है। जहां वामपंथी और सामाजिक लोकतांत्रिक ताकतों ने मजदूरों के हितों को धोखा दिया और नवउदारवाद का समर्थन किया, वे अपनी जमीन खो रहे हैं और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतें बढ़ रही हैं।

- अपनी नीतियों के प्रभाव के खिलाफ लोगों के बीच असंतोष बढ़ने के साथ, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, भाजपा और आरएसएस जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा आदि के आधार पर उनकी एकता को खण्डित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के लिए वे निश्चित ही विभाजक मुद्दों को उठा रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा और मजदूर वर्ग और जनता की एकता की रक्षा करनी होगी।

- मजदूर वर्ग की व्यापक एकता और किसानों, खेत मजदूरों जैसे मेहनतकश जनता के अन्य वर्गों के साथ मजदूरों की एकता को हासिल करने के लिए संघर्षों को व्यापक किया जाना चाहिए। सीटू को अपने संघर्षों के प्रति एकजुटता बढ़ाने में सबसे आगे होना चाहिए, सभी सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ सभी मजदूरों को संगठित करना और सीटू और उसके संबद्ध यूनियनों की मौजूदा संगठनात्मक संरचना का उपयोग करके जमीनी स्तर पर संयुक्त कार्रवाहियों को विकसित करना है।

सीटू वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव

हरियाणा में परिवहन मजदूरों और चेन्नई और बेंगलुरू ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स मजदूरों की चल रही हड़तालों और संघर्षों के साथ एकजुटता में प्रस्ताव

1–3 नवंबर, 2018 को विशाखापत्तनम में आयोजित सीटू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक;

- 16 अक्टूबर, 2018 से चल रही हरियाणा रोडवेज मजदूरों की शानदार संयुक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल के मद्देनजर, जो भाजपा की राज्य सरकार द्वारा निजी बसों को भर्ती करके और सार्वजनिक क्षेत्र के सड़क मार्ग कर्मचारियों को इन बसों से अनुबंधित करके सड़क मार्गों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ; तथा

हरियाणा रोडवेज श्रमिकों की हड़ताल के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटू हरियाणा राज्य समिति के बैनर के तहत 2 लाख से अधिक सरकारी, अर्ध–सरकारी उपक्रम और अन्य मजदूरों और कर्मचारियों ने 30–31 अक्टूबर, 2018 को दो दिनों की राज्यव्यापी हड़ताल में भारी भागीदारी की तथा

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त आह्वान पर, हरियाणा रोडवेज मजूदरों की हड़ताल की एकजुटता में देशव्यापी विरोध और हजारों यूनियनें हरियाणा के मुख्यमंत्री को विरोध पत्र भेज रही हैं;

रोडवेज मजदूरों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, निलंबन, एस्मा लागू करने और गिरफ्तारी के द्वारा संघर्ष को दबाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार की निन्दा करना;

- तमिलनाडु में चेन्नई के पास ओरागादम–श्रीपेरुंबदुर औद्योगिक पट्टी की तीन बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स कंपनियों – यामाहा, रॉयल एनफील्ड और एमएसआई में यूनियनें बनाने और उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार के अनुसार सामूहिक सौदा करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए; और मनमाने तरीकों से प्रताड़ित करने तथा अपमानजनक काम करने की स्थितियों के खिलाफ; जारी अनिश्चितकालीन हड़तालों को ध्यान में रखते हुए तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त आह्वान पर, अन्य राज्य फेडरेशनों और यूनियनों ने हड़ताली ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स मजदूरों के साथ एकजुटता और समर्थन के लिए; हजारों मजदूर राज्यव्यापी विरोध कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं; और औद्योगिक क्षेत्र में अन्य विनिर्माण इकाइयों के मजदूरों के द्वारा यामाहा संयंत्र के सामने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं।

पुलिस दमन, संयंत्र परिसर से जबरन बेदखली और हड़ताली मजूदरों की गिरफ्तारियों की निन्दा;

- यह भी कि कर्नाटक के बैंगलोर के औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय ऑटो पार्ट्स कंपनी टोकई रिका मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मजदूरों के मौजूदा संघर्ष के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना है, जो यूनियन के गठन करने और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार को स्थापित करने, और प्रताड़ना और अपमानजनक सेवा शर्तों के खिलाफ है; तथा

सीटू कर्नाटक राज्य समिति संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में अपने राष्ट्रीय महासचिव सहित आंदोलन का मार्गदर्शन, आयोजन और उसमें शामिल हो रही है;

निलंबन और सेवा समाप्ति सहित, मजदूरों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित करने के लिए प्रबंधन; और कर्नाटक पुलिस दमनकारी कार्रवाई तथा महिला मजदूरों से हाथापायी करने के लिए की भर्त्सना करते हैं;

इन हड़ताली और आन्दोलनरत मजदूरों का समर्थन और एकजुटता व्यक्त करता है;

➢ **माँग करता है कि**

- हरियाणा राज्य सरकार हरियाणा रोडवेज के निजीकरण को रोके; सभी निलंबित और बर्खास्त रोडवेज मजदूरों को बहाल करें और इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी मजदूरों को छोड़ दें और उनके खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस ले लें;
- तमिलनाडु राज्य सरकार से कि यामाहा, रॉयल एनफील्ड और एमएसआई के हड़ताली मजदूरों की सभी मांगों को हल करने के लिए और मजदूरों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को कायम रखने के लिए; त्रिपक्षीय बैठकों में हस्तक्षेप करें और पुलिस दमन रोकें;
- कर्नाटक राज्य सरकार से कि पुलिस दमन को रोकें और मजदूरों को कानूनी मांगों को हल करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से मजदूरों के अधिकारों, यूनियन का गठन करने और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकारों को बनाए रखे;

➢ इन उद्योगों के संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता की कार्रवाहियों के द्वारा अपना समर्थन बढ़ाने के लिए सभी सीटू इकाइयों, संबद्ध यूनियनों, राष्ट्रीय फेडरेशनों और आम मजदूरों का आह्वान करते हैं।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और निर्दोषों की हत्याऐं रोको

1–3 नवंबर, 2018 को विषाखापत्तनम में आयोजित सीटू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया।

यह बैठक 1 नवंबर की शाम को असम के तिनसुकिया जिले के एक गांव में पांच लोगों को गोली मारकर हत्या करने की भयावय कार्रवाही की निंदा करती है।

असम में सत्ता में आने के बाद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा और हिंसा के माहौल में आरएसएस/भाजपा के समर्थन से ऐसी हत्या हो रही है।

यह हत्या सिर्फ राज्य में कानून और व्यवस्था मशीनरी की विफलता नहीं ही है, बल्कि नफरत के अभियान और हिंसक कृत्यों के माध्यम से निष्पादित राजनीतिक योजना का हिस्सा है।

सीटू की मांग है कि असम सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करे; कानून का शासन स्थापित करें और राज्य में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्तियों की रक्षा करे।

सीटू देश के पूरे मजदूर वर्ग को एकजुट होने का आह्वान करता है कि नफरत फैलाने के अभियान और अल्पसंख्यक तबकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाहियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करे है और सत्ताधारियों के विभाजनकारी एजेंडे को परास्त करे।

दिल्ली–एनसीआर

न्यूनतम् वेतन पर उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश

31 अक्टूबर 2018 को उच्च्तम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित व न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि (1) न्यूनतम वेतन, जैसा कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर दिल्ली सरकार द्वारा 3.3.2017 को अधिसूचित किया गया, मजदूरों का वेतन होगा; (2) कोई बकाया का भुगतान नहीं होगा; (3) तथापि नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को पहले ही किये जा चुके भुगतान से कोई कटौती नहीं होगी; और कि (4) दिल्ली सरकार ''अनुसूचित रोजगार के लिए नये सिरे से न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की कबायद फिर से करेगी'' इसके लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की पालना की जायेगी और ऐसी कवायद के बाद तैयार प्रस्तावित अधिसूचना को इस दिन से तीन महीने बाद न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा।

उच्चतम न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश दिल्ली सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका पर दिया जो उसने नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचना के खिलाफ तकनीकी व प्रक्रियागत कमियों का हवाला देकर दायर कई सारी याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना को खारिज किये जाने के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस अंतरिम आदेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना को तब तक फिर से बहाल कर दिया है जब तक कि इसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच–पड़ताल के उपरान्त नई अधिसूचना जारी न हो जाये।

तथापि, रस्साकशी की वजह यह थी कि पहली बार दिल्ली में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने अपनी सिफारिश को 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की न्यूनतम वेतन संबंधी सिफारिशों तथा न्यूनतम वेतन के बारे में 1992 के रप्ताकोस ब्रेट मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आधारित किया था। (सीटू मजदूर मई 2017) सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के महासचिव अनुराग सक्सेना न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे और उन्होने इस बारे में ट्रेड यूनियन के इस रुख के साथ संयुक्त प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उच्चतम न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2018 को इसी अंतरिम आदेश में सीटू दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष वीरेन्द्र गौड को भी एक पक्ष के रुप में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।

आइए हम अपनी प्रतिज्ञा का नवीनीकरण करें

ए.के. पद्मनाभन, उपाध्यक्ष, सीटू

एक वर्ग उन्मुख ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में सीटू ने अपनी स्थापना से ही एक शोषण मुक्त भारत बनाने का अपना उद्देश्य घोषित कर दिया था। सीटू ने एकता और संघर्ष का नारा दिया और वर्गीय एकता बनाने का प्रयास करते हुए, वर्ग संघर्ष को तेज करने, मजदूर–किसान गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करता रहा है। देश भर में बड़े पैमाने पर संघर्ष करने के लिए, इन सभी चीजों की आवश्यकता हैं, जो हमारे मनोहर लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए परम आवश्यक है।

महान अक्टूबर क्रांति की शताब्दी से संबंधित आयोजनों, कार्ल मार्क्स की जन्म द्विशताब्दी वर्ष के अवसरों पर अपनी वचनवद्धता को खुद को याद दिलाने मौका था। इनके साथ ही कम्युनिस्ट घोषणापत्र के जारी होने के 170 साल थे, जो अभी भी दुनिया को बदलने वाले नारे – दुनियाभर के मजदूरों एक हो! की प्रासंगिता है।

यह हाल के इतिहास की एक अवधि थी, जब शोषण के सवाल, असमानता में वृद्धि, सामाजिक न्याय, वर्ग संघर्ष और समाजवाद पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गहन चर्चा की गई थी। यह गंभीर और निरंतर संकट की पृष्ठभूमि जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को घेर लिया है, में हो रहा था।

सीटू ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, ऐतिहासिक महत्व की इन महत्वपूर्ण सालगिरहों को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पूरे देश में अपने सहयोगियों का आह्वान किया था।

पिछले वर्षों के नारे

महान अक्टूबर क्रांति के 101 वर्षों को पूरा होने के अवसर पर हम क्या देखते हैं? भारत के हमारे संविधान में निहित किया है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को कायम रखते हैं। हमने संवैधानिक रूप से खुद को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य के रूप में घोषित किया है!

स्वतंत्रता के पिछले 71 वर्षों के दौरान हमने सत्तारूढ़ वर्गों के नेताओं को समाजवादी समाज, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, गरीबी उन्मूलन और कुल अच्छे दिनों की घोषणाओं के बारे में नारे उठाते हुए सुना है।

भारतीय जनता का अनुभव क्या रहा है? भारतीय समाज में बढ़ती असमानताऐं – जैसा कि पूँजीवादी दुनिया के अन्य हिस्सों में है– अब हमें घूर रही हैं। सामाजिक न्याय के बारे में सभी पवित्र वार्ताऐं बेकार ही रही है।

आज की वास्तविकता

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संकट 1991 के बाद से तेज हो गया है और नवउदारवादी नीतियों ने केवल असमानता में वृद्धि की है। 1991 में भारत में एक भी डॉलर अरबपति नहीं थे; यानी आज की रूपांतरण दर के मुताबिक जिसके पास 7000 करोड़ रुपये से अधिक हो। 2000 तक ऐसे आठ डालर अरबपति भारत में थे। यह संख्या 2012 तक 53 हो गई और इस साल मार्च तक यह संख्या 121 हो चुकी है। ये सभी फोर्ब्स पत्रिका के आंकड़े हैं। इन अरबपतियों की कुल संपत्ति 441 अरब डॉलर (31 लाख करोड़ रुपये) है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 22% है।

भारत के अरबपति नंबर एक, मुकेश अंबानी ने 2017 में 23 अरब डॉलर से 44 अरब डॉलर तक अपनी संपत्ति बढ़ा ली है। एक वर्ष के दौरान उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि रु० 1,19,000 करोड है! दुनिया के अरबपतियों में से कोई भी अपनी संपत्ति में इतनी वृद्धि नहीं कर सकता। विख्यात पत्रकार, पी० साईंनाथ, जो ग्रामीण भारत का अध्ययन करने में माहिर हैं, कहते हैं कि अकेले अंबानी की इस वार्शिक वृद्धि के माध्यम से, 8 करोड़ लोगों को 365 दिनों के लिए मनरेगा के

तहत काम दिया जा सकता है; यानी, एक भी छुट्टी के बिना। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति की संपत्ति में यह वृद्धि 8 करोड़ लोगों की मजदूरी के बराबर है!

ग्रामीण भारत की स्थिति शहरी श्रमशक्ति की तुलना में अधिक संकटपूर्ण है। 90% ग्रामीण परिवार प्रति माह दस हजार रुपये से भी कम कमाते हैं। डॉ० साईंनाथ कहते हैं कि 2017 में ग्रामीण आबादी के सबसे निचले स्तर के 10% की आय में 3–5% की कमी आई है।

यह विशेष तौर पर भारत में नहीं है। पूँजीवादी दुनिया में आय की असमानता बढ़ रही है। 2018 की शुरुआत में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कहा कि दुनिया के सबसे अमीरों एक प्रतिशत के कब्जे में, पूरी मानवता के शेष 99% से अधिक है। 42 व्यक्तियों की संपत्ति सबसे गरीब 370 करोड की संपति से ज्यादा. है। 2043 डॉलर अरबपति हैं और वर्ष 2017 में इनमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, जिसमें हर दो दिन में एक को सूची में शामिल किया जा रहा है। लेकिन निचले स्तर के 370 करोड़ के धन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई।

इस क्रूर शोषण के परिणामस्वरूप असमानता बढ़ रही है जिसके आधार पर पूंजीवाद फलता–फूलता है। और, व्यवस्था का हर संकट मेहनतकशों पर अधिक दुःखों का पहाड़ गिराता है। बढ़ोत्तरी और विकास के बारे में सभी बड़े दावे, ग्रामीण और शहरी दोनों ही भारतीय मेहनतकशों के विशाल बहुमत के जीवन में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।

वेतन पर आईएलओ की नवीनतम रिपोर्ट भी भारत में खेद की स्थिति बयान करती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2011–12 के आंकड़ों के आधार पर है और अपने अनुभव से, हम सभी जानते हैं कि यह स्थिति और गंभीर हो गई है। भारत में वेतन कमाने वालों में से 62% को आकस्मिक मजदूरों के रूप में नियुक्त किया जाता रहा है और नियमित या वेतनभोगी मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी का केवल 36% ही प्राप्त होता रहा है। केवल पिछले 7 वर्षों में स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया गया है। वेतन संरचना में भी, शहरी और ग्रामीण में विभाजन तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन भी बढ़ा है।

सत्तारूढ़ वर्ग द्वारा मेहनतकश जनता पर हमला करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में, न केवल दिन–प्रतिदिन के मुद्दों पर, बल्कि नीति विकल्पों से संबंधित के लिए भी हमें एकता का निर्माण, संघर्ष को मजबूत करना है। हाल ही में नई दिल्ली में मजदूर–किसान संघर्ष रैली और संबंधित देशव्यापी अभियान को इसी दिषा में तैयार किया गया था।

आज की चुनौतियों को केवल मजदूर वर्ग और मेहनतकशों के अन्य वर्गों की एकता और शक्तिशाली व संघर्षों की निरंतरता का निर्माण करके ही किया जा सकता है। महान अक्टूबर क्रांति की सालगिरह ही एक क्रान्तिकारी बदलाव की कोशिश और एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए हमारी प्रतिज्ञा का नवीनीकरण करने का अवसर है।

मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेन्शन की घोषणा से

नोटबन्दी के कारण रोजगार की समाप्ति

स्वतंत्र सर्वेक्षणों और नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा प्रायोजित लोगों के अनुमानों ने दिखाया कि नोटबन्दी के आरम्भिक कुछ महिनों में 2.34 लाख छोटी फैक्ट्री इकाइयों के बंद होने से 70 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में 6 करोड़ लोगों की आजीविका समाप्त हो गयी और संगठित क्षेत्र में लगभग 17 लाख नौकरी के नुकसान की गंभीर जमीनी वास्तविकता है। इस तरह के दयनीय रिकॉर्ड के साथ सरकार रोजगार सृजन पर धोखाधड़ी करने के लिए आंकड़ों की हेराफेरी में व्यस्त है। श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला नियमित रोजगार सर्वेक्षण रोक दिया गया है।

आयुष्मान भारत

स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था का निजीकरण और बीमा संचालित स्वास्थ्य देखभाल

जे.एस.मजूमदार, उपाध्यक्ष, सीटू

खराब स्वास्थय व बीमारियों का मूल कारण

महत्वपूर्ण होने के बावजूद न तो 'स्वच्छ भारत ' जैसे उचित वातावरण की अनुपरिस्थति और न ही 'आयुष्मान भारत 'जैसी स्वास्थय देखभाल खराब स्वास्थय व बीमारियों का मूल कारण है। खराब स्वास्थय व बीमारियों का मूल कारण व्यक्तिगत न होकर सामाजिक है। बीमारी और गरीबी के बीच सीधा संबंध है; जो उपभोग के स्तर, अत्यधिक काम व भुखमरी से जुड़ा है।

19 वीं सदी से ही तीखे व लम्बे राजनीतिक संघर्षों के परिणाम के रुप में दुनिया के अलग–अलग देशों में जनस्वास्थय के लिए व्यापक कदम उठाये जाते रहे हैं व राष्ट्रीय स्वास्थय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है।

स्वास्थय का माल में बदलना और चिकित्सा उद्योग का उभार

स्वास्थय का माल में बदलना और चिकित्सा उद्योग का उभार स्वास्थ्य के एक वस्तु में बदल जाने के साथ,स्वास्थय देखभाल व्यवस्था एक वाणिज्यिक लेन–देन की व्यवस्था बन गई है– एक एसा बाजार जिसमें कारपोरेट अस्पतालों व मेडिकल सेंटरों, रिसर्च एवं डायगनोस्टि्क प्रयोगशालाओं, फार्मास्युटिकल फर्मों, मेडिकल उपकरण बनाने वालों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों आदि की भरमार है।

सभी अध्ययनों में स्वास्थ्य मानकों में सुधारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में सरकार की भूमिका व राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्व को और बाजार चालित व्यवस्था के कहीं ज्यादा नाकारात्मक प्रभावों को दिखाया है। यह आधुनिक राज्य व बाजार के बीच के टकराव के रुप में सामने आता है, जहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य सभी को स्वास्थ्य प्रदान कराना है; तो कारपोरेटों को मरीजों की तुलना में अपने निवेशकों को प्राथमिकता देनी है। इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ देखभाल सेवाओं को कारपोरेट स्वास्थय देखभाल व्यापार से बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल का संजाल

समूचे भारत में सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल नेटवर्क के तहत मार्च 2015 में 1,53,655 उपकेन्द्र (एस सी) 25,308 प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स (पी एच सी) और 5,396 कम्युनिटी हैल्थ सेंटर्स जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज थे। शहरी क्षेत्रों में, सब डिवीजनों में और स्थानीय म्यूनिसीपल निकायों के तहत अस्पताल/डिस्पेंसरियाँ भी हैं।

प्रत्येक उपकेन्द्र के दायरे में 5,000 की आबादी है (पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में 3000); इसमें कम से कम एक सहायक नर्स मिडवाईफ (ए एन एम) और मल्टी परपज हैल्थ वर्कर (एम एच डब्ल्यू) होता है; इसका खर्च पूरे तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। उपकेन्द्र ग्रामीण जनता को स्वास्थय के बारे शिक्षित करने का कार्य भी करते हैं।

प्रत्येक पी एच सी में एक मेडिकल ऑफिसर व अन्य पेरामिडिकल स्टाफॅ होता है; इसके दायरे में 30,000 तक की जनसंख्या (दूरदराज इलाकों में 20,000) होती है; यह 6 उपकेन्द्रों को सुपरवाइज करता है; उपकेन्द्रों के ऊपर एक रेफरल अस्पताल के रुप में कार्य करता है; तथा इसका पूरा खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाती है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र (सी एस सी) के दायरे में 1.2 लाख की जनसंख्या आती है (दूरदराज में 80,000); समूचा खर्च राज्य सरकार करती है तथा यह पी एच सी' के ऊपर रेफरल अस्पताल के रुप में कार्य करता है। जिला अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थय व्यवस्था में प्राथमिक व द्वितीयक स्तर के लिए अंतिम रेफरल अस्पताल हैं। 2010 में जिला अस्पतालों की संख्या 605 थी जबकि देश में 640 जिले थें केन्द्र व राज्य सरकार दोनों के व उनके द्वारा संयुक्त रुप से चालित मेडिकल कालेज व शोध संस्थान भी रेफरल अस्पतालों के रुप में कार्य करते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल व्यवस्था का यह संजाल मोदी सरकार के गंभीर हमले की चपेट में है।

स्वास्थय देखभाल नियोजन को समाप्त करना

सत्तारूढ़ होते ही मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और नियोजन की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर आर्थिक विकास को पूरी तरह से बाजार की शक्तियों के हवाले कर दिया। सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल व्यवस्था जो योजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग थी,इसका बुरी तरह शिकार बनीं।

राष्ट्रीय स्वास्थय नीति 2017 निजीकरण की मुहिम

राष्ट्रीय स्वास्थय नीति 2017, निजीकरण के लिए मोदी सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थय नीति एन एच पी 2017 'भारी भरकम स्वास्थय देखभाल उद्योग के उभार' और 'सार्वजनिक फंडिंग में बढ़ी वित्त क्षमता ' के इर्द गिर्द घूमती है। राष्ट्रीय स्वास्थय नीति 2017, '' स्वास्थय देखभाल व्यवस्था को अधिक प्रभावी,कुशल,विकेकी,सुरक्षित,वहनीय व नैतिक बनाने के सार्वजनिक स्वास्थय लक्ष्यों के लिए निजी क्षेत्र के योगदान को संभव करने उसकी वृद्धि के साथ मेल बैठाने के लिए निर्देशित है।'' एन एच पी 2017 प्राथमिक स्वास्थय देखभाल के लिए हैल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना का प्रस्ताव करती है।

आयुष्मान भारत स्वास्थय योजना का आरम्भ

इस पृष्ठभूमि में, मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थय कार्यक्रम शुरु किया है। इसके दो भाग हैं। एक भाग प्राथमिक स्वास्थय देखभाल के लिए हेल्थ एंड वेलनैस सेंटर स्थापित करने का है और दूसरा आयुष्मान भारत– द्वितीयक व तृतीयक स्तर की स्वास्थय देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थय रक्षा योजना (ए बी–एन एच पी एस) का है।

आयुष्मान भारत के इन दोनों घटकों को मोदी सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों व केन्द्र सरकार के 2018–19 के बजट में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत नये इंडिया के लिए –2022' की योजना के रुप में घोषित किया गया है व ऊपर रखा गया है। भाजपा आयुष्मान भारत को अमेरिका की ' ओबामाकेयर 'की तर्ज पर 'मोदीकेयर ' के रुप में प्रचारित करने की कोशिश कर रही है।

हैल्थ एंड वेलनैस सेंटर्स (एच डब्ल्यू सी)

मोदी सरकार ने केन्द्र के पैसे से चलने वाले 1.53 लाख उपकेन्द्रों (एच सी) का नाम बदलकर हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कर दिया और ' मुफ्त दवायें ' प्रदान करने के नाम पर मात्र 1200 करोड़ रुपये दिये जो प्रत्येक उपकेन्द्र के लिए 5000 की आबादी पर मात्र एक वर्ष में 781 रुपये आते हैं। इसके पास उपकेन्द्रों की मौजूदा कमियों को दूर करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए,एन एच पी 2017 निजी क्षेत्र के साथ मिलाप का प्रस्ताव करती है।

स्वास्थय के लिए घटता बजटीय आवंटन

'अग्रणी ' आयुष्मान भारत स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के बावजूद, स्वास्थय के लिए बजट आवंटन में वित्तीय वर्ष 2017–18 के 2.4 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 2.1 रह गया है।

आयुष्मान भारत– निजीकरण की मुहिम

आयुष्मान भारत के माध्यम से दोतरफा हमला है–(1) सार्वजनिक स्वास्थय व्यवस्था का निजीकरण और (2) निजी स्वामित्व वाला बीमा संचालित स्वास्थय। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के निजीकरण की आयुष्मान भारत परियोजना के पहले और उसके तुरन्त बाद भाजपा शासित राज्य सरकारों ने निजीकरण की तेज मुहिम चलाई है। राजस्थान सरकार ने 2016 में ही 42 ग्रामीण पी एच सी' का निजीकरण कर दिया था। 19 को विश फांऊडेशन को दिया गया; 13 जिलों में 43 शहरी पी एच सी' को 2017 में; तथा 2017 के अगस्त में 50 और ग्रामीण पी एच सी के निजीकरण के लिए निविदा जारी की गई। राजस्थान में स्वास्थ्य देखभाल के सार्वजनिक –निजीभागेदारी(पी पी पी) मॉडल के अंतर्गत सरकार निजी खिलाड़ी द्वारा पी एच सी के प्रबंधन व उसके कार्यकलापों को लेने के लिए बदले में उन्हें 30 लाख रुपये प्रत्येक पी एच सी के लिए ऑफर करती है।

केन्द्रीय बजट में आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त बाद छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने मार्च 2018 में सरकार द्वारा संचालित 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिनमें राज्य की राजधानी रायपुर के 4 और इस्पात सिटी भिलाई के 4 केन्द्र शामिल हैं,को पी पी पी मॉडल में देने का फैसला किया।

29 अप्रैल,2018 को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के हिस्से के रुप में 1000 अस्पतालों को पी पी पी मॉडल के तहत स्थापित करने की घोषणा की; तथा इसके लिए यू के की कंसलटेंसी फर्म अनर्स्ट एंड यंग को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। नीति आयोग ने जुलाई 2017 में '' जिला अस्पतालों में गैर–संक्रामक बीमारियों (एन सी डी) के लिए पी पी पी के लिए दिशा निर्देश जारी किये ''।

बीमा संचालित आयुष्मान भारत– एन एच पी एस

बीमासंचालित आयुष्मान भारत– एन एच पी एस – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (ए बी– एन एच पी एस) एक अन्य अग्रणी कार्यक्रम है जो प्रत्येक परिवार के लिए अस्पताल में भर्ती के खर्च के लिए 5 लाख रुपये तक के साथ द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 10.74 करोड़ गरीब व कमजोर परिवारों के लिए है।

औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डी आइ पी पी) द्वारा जारी आंकड़े दिखाते हैं कि अस्पतालों व डायगनोस्टिक सेंटरों ने वर्ष 2000–2017 के बीच 4.83 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–3 के अनुसार निजी चिकित्सा क्षेत्र शहरी इलाकों में 70 प्रतिशत और ग्रामीण इलाकों के 63 प्रतिशत परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। इस विशालकाय रुप से बढ़ते निजी क्षेत्र अस्पतालों का जिनके पास भारी एफ डी आई है, निश्चित ही एक बढ़ता बाजार है।

सरकार ने 2016 में बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रुट से एफ डी आई की इजाजत दे दी थी। 2017 में बीमा क्षेत्र की दो सार्वजनिक कंपनियों को विनिवेश के लिए सूचीबद्ध किया गया।

यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने पहले ही भारत में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्टस (न्यू वेंचर्स) के तहत ऑटोमेटिक रुट के जरिये दवा कंपनियों में और, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड(एफ आइ पी बी) के अनुमोदन के अंतगर्त ब्राऊन फील्ड प्रोजेक्ट्स (मौजूदा कंपनियों) में 100 प्रतिशत एफ डी आइ को मंजूरी दे दी थी। वे दवा कंपनियां जो नवउदारवाद के पूर्व भारत को छोड़ गई थीं एफ डी आइ के ब्राऊनफील्ड रुट से वापिस आनी शुरु हो गई। दवा की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक और कदम उठाया जब उसने ऑटोमेटिक रुट से ब्राऊनफील्ड फार्मा कंपनियों में 74 प्रतिशत एफ डी आइ को मंजूरी दी।

अस्पतालों, बीमा व दवाओं के व्यापार की इस कारपोरेट तिकड़ी को अच्छी खासी पूंजी के साथ एक अनुशासित,एकीकृत अखिल भारतीय बाजार प्रदान किया जाना है। एन एच पी सी ठीक इसी के लिए है। यह व्यापार सार्वजनिक पैसे के बल पर बीमा रुट से किया जाना है।

बीमा कंपनियों का भारी मुनाफा

बीमा कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन के बल पर भारी मुनाफे बटोरने के निष्कर्ष को मोदी सरकार की बहुप्रचारित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाइ) के अनुभव से समझा जा सकता है। भारतीय बीमा नियामक व विकास आथरिटी (इरडा) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 11 बीमा कंपनियों को केवल एक वर्ष–2016 में पी एम एफ बी वाइ से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ। ए बी– एन एच पी एस का मामला तो कहीं ज्यादा बड़ा है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम–जे ए वाइ) का आरंभ

21 मार्च, 2018 को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (ए बी– एन एच पी एफ) के आरंभ की घोषणा की। इसे अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री –जन आरोग्य योजना (पी एम –जे ए वाइ) कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 25 सितम्बर, 2018 को झारखंड से इसे शुरू करने की घोषणा की (ये वास्तव में 23 सितम्बर को किया गया)

पी एम–जे ए वाइ ने चल रही केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाइ) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एस सी एच आइ एस) को समाहित कर लिया। इसने राज्यों द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को भी समाहित कर लिया। इसने केन्द्र –राज्य संबंधों को भी बाधित किया हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन कौंसिल(ए बी–एन एच पी सी) का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री करेंगे व राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसके सदस्य होंगे यह कौंसिल जी एस टी कौंसिल की तरह शीर्ष पर नीतिगत फैसले लेगी। बीमा प्रीमियम में केन्द्र व राज्यों का अनुपात 60:40 का होगा।

पी एम– जे ए वाइ को कारपोरेट की तरह आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन गवर्ननिंग बोर्ड द्वारा शासित किया जायेगा। इसके अंतगर्त,आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी को सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है जो संगठनात्मक स्तर पर मिशन के क्रिया–कलापों को देखेगी और इसका एक पूर्णकालिक सी ई ओ होगा। 27 मार्च,2018 को मनीला

में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ईस्ट एशिया डिपार्टमेंट के महानिदेशक,इंदु भूषण को पी एम–जे ए वाइ का सी ई ओ नियुक्त किया गया है।

योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी होगी। केन्द्र सरकार से पैसे का हस्तांतरण सीधे ए बी–एन एच पी एम के जरिये स्टेट हेल्थ एजेंसी को होगा। जी एस टी एन की तरह, नीति आयोग के अंतर्गत सभी स्तरों पर कागज रहित, नकदी रहित लेन–देन के लिए एक आई टी मंच तैयार किया गया है।

समूचे स्वास्थ्य देखभाल ढांचे का कारपोरेटीकरण

सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क के निजीकरण की मुहिम और आयुष्मान भारत योजना के लिए तैयार बीमा संचालित स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य को बीमा, अस्पतालों व दवा व्यापार की कारपोरेट तिकड़ी को पूरी तरह सौंपने के लिए और भी कई कदम उठाये हैं। ईलाज,चिकित्सीय प्रेसक्रिपशन,दवाओं की आपूर्ति,डायगोस्टिक तथा लागत आदि सभी तिकड़ी के अधीन होगा।

प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए,मोदी सरकार ने अमेजन और अब वॉलमार्ट जैसे ई– रिटेलर्स को दवाओं की आपूर्ति के बाजार में आने की मंजूरी दी है जो लगभग 8.5 लाख खुदरा दवा विक्रेताओं की जगह ले लेंगे। इसके लिए ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्टक 1940 तथा उसके केन्द्रीय नियम,1995 को ई प्रेसक्रिशन,ई–मार्केटिंग के लिए संशोधित किया जा रहा है (मसविदा जारी)। मेडिकल एजुकेशन व प्रोक्टिस का निजीकरण करने के लिए सरकार ने 29 दिसम्बर 2017 को मेडिकल कमीशन बिल 2017 लोकसभा में और 8 जनवरी,22018 को राज्य सभा में पेश किया जिसमें मेडिकल कौंसि ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 को रद्द कर दिया गया। यह बिल अभी संसद की स्थायी समिति के सामने लंबित है। लेकिन सरकार मनोनीय निकाय के लिए अध्यादेश जारी कर उसे नियुक्त कर चुकी है।

सरकार ने पेशागत सुरक्षा,हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में श्रम संहिता का मसविदा वितरित किया है जो सेल्स प्रोमोशन इम्पलाईज (कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट ; 1976 (मेडिकल व सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए लागू) को रद्द करने का प्रस्ताव करता है और इस तरह, एक वर्कमेन के उनके दर्जे तथा इसके माध्यम से अन्य श्रम कानूनों के तहत उनके कवरेज को समाप्त करता है।

मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेन्शन की घोषणा से

सार्वजनिक क्षेत्र का आक्रामक निजीकरण

सरकार विनिवेश, रणनीतिक बिक्री, आऊटसोर्सिंग व 100 एफ.डी.आई. के प्रोत्साहन के माध्यम से रक्षा उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व बीमा, रेलवे, सार्वजनिक सड़क परिवहन, तेल, ऊर्जा, इस्पात, कोयला आदि समेत रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण की दिशा में आक्रामक रुप से आगे बढ़ रही है। वह सभी धनी सार्वजनिक उपक्रमों को कंगाल बना रही है। रक्षा क्षेत्र का निजीकरण पिछले साढ़े 6 दशक में विनिर्माण क्षमता व शोध की पहलकदमी को बर्बाद कर देने के लिए किया जा रहा है। रेलवे को कदम दर कदम संपूर्ण निजीकरण के रास्ते पर बढ़ाया जा रहा है।

मुख्य बंदरगाहों के निजीकरण का रास्ता तैयार करने के लिए विधायी कदम भी काफी अगले चरण में हैं। ऊर्जा, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, मेटल, माईनिंग, मशीन, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजीटल, रोड, एअर व वॉटर ट्रान्सपोर्ट, गोदी व बंदरगाह व अन्य जैसे प्रमुख व रणनीतिक क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तक भी सरकार के निजीकरण के हमले की चपेट में हैं।

जम्मू व कश्मीर में एकमात्र पी.एस.यू. आई.टी.आई. लिमिटेड की उत्पादन ईकाई की समूची भूमि व भवन एक एन.एस.जी. हब बनाने के नाम पर हड़पा जा रहा है। कन्वेंशन नोट करता है कि इन उद्योगों के मजदूर मिलकर अपने क्षेत्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं।

रेलवे का निजीकरण

रेलवे द्वारा निर्मित मौजूदा रेल पटरियों पर निजी रेलें चलाने की मंजूरी दी जा रही है। यही नहीं, रेलवे यार्डों, शेडस व कार्यशालाओं में निजी डिब्बों, वेगनों व इंजन आदि के रखरखाव के लिए मुफ्त सुविधा की निजी खिलाड़ियों को पेशकश की जा रही है। सभी मेट्रो शहरों में 23 रेलवे स्टेशनों को निजीकरण के लिए छांटा जा चुका है। 600 से अधिक रेलवे स्टेशनों को उनकी आस–पास की भूमि के साथ 'रेलवे स्टेशनों व उनके आस–पास की भूमि के पुर्नविकास' के नाम पर निजी खिलाड़ियों द्वारा विकसित किये जाने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। यह सब वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा था। न केवल रेलवे बल्कि सभी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूर, नौकरियों की सुरक्षा, जनवादी ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा तनख्वाह भत्ते, सामाजिक सुरक्षा आदि केमामले में हासिल की गई उपलब्धियों के संदर्भ में सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगे। केन्द्रीय बिजली नियामक प्राधिकरण (सी.ई.आई.सी.) की तरह ही एक 'रेलवे विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) बनाया गया है। सी.ई.आई.सी. के द्वारा बिजली के दामों को आसमान पर पहुँचा दिये जाने को देखते हुए आर.डी.ए. के अंर्तगत रेल किराये व माल ढुलाई भाड़े को बेहताशा बढ़ना है जिससे आम आदमी को भारी नुकसान और निजी खिलाड़ियों को मुनाफा होगा।

चेन्नै में बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाईल कम्पनियों में बड़ी लड़ाईयाँ

यूनियन के गठन और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के लिए; और प्रताड़ना एवं अपमानजनक कामकाजी शर्तों के खिलाफ

आर. करुमलायन, केन्द्रीय सचिवमंडल सदस्य सीटू

चेन्नई के पास ओरागादम–श्रीपेरुरंबदुर औद्योगिक पट्टी में बहुराश्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के हजारों मजदूर इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक एक महीने से अधिक समय से मुख्य रूप से यूनियन बनाने और सामूहिक सौदाबाजी के अपने अधिकार स्थापित करने के लिए उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के अनुसार; और मनमानी कार्यों, पीड़ितों और अपमानजनक काम करने की स्थितियों के खिलाफ, अनिश्चित कालीन हड़ताल सहित अनेक प्रकार के जुझारु आंदोलनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं।

सितंबर, 2018 में अलग–अलग तिथियों से शुरू होने और एक दूसरे से स्वतंत्र, यामाहा, रॉयल एनफील्ड और एमएसआई नामक तीन बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के कर्मचारी ओरागादम–श्रीपेरुंबदुर औद्योगिक पट्टी में मूल रूप से यूनियनाईजेशन और सामूहिक सौदेबाजी करने के मुद्दों पर और मनमानी कार्यों, पीड़ितों और अपमानजनक काम करने की स्थितियों के खिलाफ, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार की कॉरपोरेट–समर्थक नीतियों और राज्य में एक लचीली सरकार द्वारा प्रोत्साहित; इन ऑटोमोबाइल एमएनसी के प्रबंधन, कानून की उचित प्रक्रिया, श्रम प्रवर्तन प्राधिकरणों की सलाह और अदालतों के आदेष को हवा में उड़ा रहे हैं; मनमाने ढंग से कार्यवाही, मजदूरों और यूनियनों के नेताओं को प्रताड़ना षिकार बना रहे हैं और पुलिस और किराऐ के गुंडों का सहारा लेकर दमनकारी कदम उठा रहे हैं।

इन हमलों का सामना करते हुए, मजदूर दृढ़ता, एकजुटता और प्रतिरोध के साथ लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में ट्रेड यूनियन आंदोलन की सहानुभूति, समर्थन और संयुक्त एकजुटता की लहर है। 1–3 नवंबर को विषाखापत्तनम में हाल ही में आयोजित बैठक में सीटू कार्यसमिति ने विषेश रूप से इन बहादुर मजदूरों को अपने मूल ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए लड़ने और राश्ट्रव्यापी एकजुटता व समर्थन के लिए आह्वान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है।

यामाहा में हड़ताल

जापान की विशाल दुपहिया कंपनी यामाहा के इस औद्योगिक बेल्ट में वल्लम में अपने संयंत्र में, 805 स्थायी और 1500 से अधिक अस्थायी श्रमिक हैं। सीटू की मदद से, इन श्रमिकों ने जून 2018 में भारत यामाहा मोटर थोजिलालर संगम (आईवाईएमटीएस) – एक यूनियन का गठन किया, इसे पंजीकृत किया, सीटू के साथ यूनियन को संबद्ध करने के लिए संकल्प अपनाया और प्रबंधन के साथ मांगों को उठाया। मांगों का चार्टर कानून की उचित प्रक्रिया के तहत समझौता में भर्ती कराया गया था। 20 सितंबर, 2018 को पहली त्रिपक्षीय समझौता बैठक आयोजित की गई। यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लियाय लेकिन प्रबंधन में भाग नहीं लिया।

यूनियन के दो पदाधिकारी, जो समझौते की बैठक में भाग लेते थे, अगले दिन 21 सितंबर को कर्तव्य के लिए बने, सुरक्षा गार्ड ने अपनी प्रविष्टि को रोका और उनसे कहा कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

प्रबंधन की इस सख्त कार्रवाई के खिलाफ, संयंत्र के अंदर ड्यूटी पर मौजूद लगभग 700 मजदूरो ने, प्रबंधन से एकमात्र मांग की कि उनकी यूनियन के नेताओं को ड्यूटी में शामिल होने दें। चूंकि प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया, आंदोलन करने वाले मजदूरों ने संयंत्र के अंदर धरना शुरू कर दिया और यूनियन के पदाधिकारी मजदूरों का कंपनी का रोजगार को समाप्त करने को वापस लेने की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया।

इस रिपोर्ट के तैयार होने तक, प्रबंधन की तमाम धमकियों और हड़ताली कर्मचारियों के घरों पर, धमकाने के लिए भाड़े के गुंडों को भेजने; तथा प्लान्ट को खाली करने और संयंत्र से 200 मीटर के अंदर आंदोलन को प्रतिबंधित करने के मद्रास उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बावजूद भी अंदर ही बैठकी हड़ताल जारी है। अदालत के आदेष के बहस पर, पुलिस ने हड़ताल तोड़ने वाले, श्रमिकों के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया और आतंक का शासन शुरू कर दिया। श्रमिकों ने इस तरह के हमलों के खिलाफ खुद का बचाव किया और संयंत्र परिसर से अपने मजबूर हटाने का विरोध किया और यहां तक कि पास के मोबाइल

फोन टावर पर चढ़ाई भी की। पुलिस ने 12 से अधिक श्रमिकों के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दायर किए और उनमें से तीन गिरफ्तार किए गए।

4 अक्टूबर को, डीएलसी ने समझौता मीटिंग आयोजित की और दोनों को सलाह दी – यूनियन ने हड़ताल और प्रबंधन को बंद करने के लिए दो समाप्त कार्यकर्ताओं को कर्तव्यों को फिर से षुरू करने की अनुमति दी। हालांकि यूनियन सहमत हो गया, लेकिन प्रबंधन ने मिनटों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसलिए, हड़ताल जारी है।

रॉयल एनफील्ड में हड़ताल

श्रीपेरंबुदुर की ओरागादम औद्योगिक पट्टी में अधिकांश कंपनियां 'वर्क्स कमेटी' के माध्यम से श्रम मुद्दों से निपट रही है तथा ट्रेड यूनियनों के बनाने को वर्जित कर रही हैं। हालांकि, नियोक्ता के पक्ष में इस व्यवस्था से और कम मजदूरी एवं बोनस को लेकर नाखुश होने के कारण, ओरगादम औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पुरानी बहुराष्ट्रीय दो पहिया कम्पनी रॉयल एनफील्ड की उत्पादक जो अब ईषर मोटर्स लिमिटेड के नाम से हैं के लगभग 6,000 श्रमिकों ने अप्रैल, 2018 में, अपने विनिर्माण संयंत्र में रॉयल एनफील्ड एम्पलाईज यूनियन के नाम से एक यूनियन बनायी जो सीटू द्वारा समर्थित है।

यूनियन ने वेतन, बोनस इत्यादि पर मांगों का चार्टर पेश किया। प्रबंधन ने तत्काल उन कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का सहारा लिया जिन्होंने यूनियन बनाने में पहल की थी। चार मजदूरों को फौरन ही सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसके खिलाफ एक विवाद प्रस्तुत किया गया था जिसे कन्सीलिएशन में जमा कराया गया था। इस समझौते की कार्यवाही के दौरान, 24 सितंबर को 120 मजदूरों को सेवाओं को बर्खास्त कर दिया गया। यूनियन और उनके नेतष्त्वकारी कार्यकर्ताओं और मजदूरों पर इस हमले ने सभी मजदूरों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने इन सामूहिक बर्खास्तगी के खिलाफ अनिष्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया।

समझौता अधिकारी की सलाह पर, मजदूर 27 सितंबर को काम पर लौट आए। लेकिन, प्रबंधन ने सभी मजदूरों को ड्यूटी शुरू करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया और उन्हें चरणों में ड्यूटी में षामिल होने की अनुमति देने की घोषणा की। यह सभी मजदूरों द्वारा दृढ़ता से खारिज कर दिया गया था, जिसने प्रबंधन को अपने निर्णय को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया।

हालांकि, 30 सितंबर को जब मजदूरों ने काम फिर से शुरू करने आऐ, तो प्रबंधन ने कंपनी के पंजीकृत स्थायी आदेशों कें प्रावधान के खिलाफ उनके फोन जब्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा, प्रबंधन ने साथ ही किसी भी समझौता बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया। इन परिस्थितियों में, मजदूरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया।

रॉयल एनफील्ड में संघर्ष अधिक गंभीर हो गया जब समझौता अधिकारी की सलाह पर मजदूर 5 अक्टूबर को काम पर लौट आए। पहले की तरह, प्रबंधन ने अपने पहले के कदम को दोहराया कि मजदूरों को अपने सेल फोन जमा करने होंगे और 'अच्छे आचरण' की वचनवद्धता पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है। इस क्षेत्र में 'अच्छे आचरण' की इस तरह की वचनबद्धता को सुरक्षित करना फॉक्सकॉन, कॉमस्टार, प्रिकोल इत्यादि जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक आम प्रथा है।

5 अक्टूबर को प्रबंधन की इस तरह की मनमानी ने मजदूरों को हड़ताल जारी रखने के लिए प्रेरित किया। प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया। प्रबंधन के कहने पर, पुलिस ने 300 से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। प्रबंधन द्वारा फैक्ट्री के 100 मीटर के भीतर मजदूरों के एकत्र होने को प्रतिबंधित करने वाले अदालत के आदेश के बावजूद फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठे हुए सभी श्रमिकों को आंदोलन के लिए उत्तेजित किया।

कारखाने के द्वार के पास इकट्ठे हुए लोगों में कई महिला मजदूर शामिल थे। इन डिप्लोमा धारक महिला मजदूरों को परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। प्रबंधन ने उन्हें 'फिक्स्ड टर्म कर्मचारी' के रूप में भर्ती करने की योजना बनाई है।

रॉयल एनफील्ड मजदूरों द्वारा तीव्र आंदोलन, हड़ताल और विरोध ने राज्य के श्रम मंत्री को 8 अक्टूबर को त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, इसने जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है।

एमएसआई में हड़ताल

हुंडई मोटर्स के लिए एक ऑटोमोबाइल कलपुर्जे निर्माता और आपूर्तिकर्ता, माईंग शिन ऑटोमेटिव इंडिया लिमिटेड (एमएसआई) में, 150 स्थायी मजदूरों सहित 600 कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2016 को तथाकथित वेतन समझौते की समाप्ति पर, तथाकथित 'वर्क्स कमेटी' द्वारा नए वेतन समझौते के लिए नई मांगें उठायी। हालांकि, इस बार कोई समझौता नहीं हुआ था। स्थिति में और गिरावट

आई क्योंकि प्रबंधन ने एकतरफा वर्कलोड बढ़ा दिया और कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोधाभासी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। औद्योगिक विवाद उठाया गया, समझौता भी असफल रहा और मामले को श्रम अदालत को निर्णय के लिए भेजा गया।

इस मौके पर मजदूरों ने सीटू के स्थानीय नेताओं से संपर्क किया, जिनकी क्षेत्र में दिखाई देने वाली उपस्थिति है और उनके द्वारा निर्देशित, नवंबर, 2017 में सीटू संबद्ध जनरल वर्कर्स यूनियन की शाखा के रूप में 'एमएसआई थोजिलालर संगम' का गठन किया गया। इस यूनियन ने विवाद उठाए और मजदूर 31 जनवरी, 2018 को एक दिन की हड़ताल पर गए।

यूनियन के गठन के बाद, प्रबंधन ने कई अनुचित श्रम प्रथाओं को अपनाया। 31 जनवरी की हड़ताल के लिए लगभग 13 मजदूरों को निलंबित कर दिया। प्रबंधन नए वेतन समझौते में वेतन और वृद्धि दर में कमी को मजबूर करने का प्रयास कर रहा है।

इन परिस्थितियों में, यूनियन ने 9 अगस्त, 2018 को हड़ताल का नोटिस दिया और तदनुसार, श्रमिकों ने 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया। प्रबंधन के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रबंधन अडियल बने रहे और उत्पादन में बाहरी मजदूरों को रोजगार देना जारी रखा। हड़ताल अभी भी जारी है।

एकजुटता आन्दोलन की लहर

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर, अन्य राज्य फेडरेशनों और यूनियनों ने हड़ताली ऑटोमोबाइल मजदूरों के समर्थन और एकजुटता के लिए; औद्योगिक क्षेत्र की अन्य विनिर्माण इकाइयों के 4,000 से अधिक मजदूरों ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में यामाहा संयंत्र के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया; और 16 अक्टूबर को हजारों कर्मचारी राज्यव्यापी समर्थन आंदोलन पर चले गए। सीटू राज्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इसकी इकाइयों और यूनियनों के द्वारा 2 नवंबर को राज्य भर में यामाहा शोरूम के सामने प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रदर्शनों के दौरान सीटू नेताओं को चेन्नई और वेल्लोर में गिरफ्तार किया गया था।

16 अक्टूबर को, 20 विनिर्माण इकाइयों में यूनियनों ने इन हड़तालों के समर्थन में हड़ताल नोटिस दिया। सभी वर्गों और जन संगठनों के नेता नियमित रूप से वित्तीय और भौतिक सहायता के साथ दौरा करके यामाहा मजूदरों का अभिवादन कर रहे हैं। सीटू के राज्य के नेता ए. सौन्दरराजन, एस. कन्नन और एल. मुथुकुमार शुरुआत से ही नियमित तौर पर हड़ताली मजदूरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सीटू राष्ट्रीय केंद्र से आर. करुमुलायन ने भी दौरा किया और हड़ताली मजदूरों को बधाई दी।

मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेन्शन की घोषणा से

रक्षा उत्पादन की आउटसोर्सिंग

हथियार और महत्वपूर्ण उपकरण सहित 50% से अधिक उत्पादों की आउटसोर्सिंग सर्वाधिक संदिग्ध है है, जो लंबे समय से आर्डीनेन्स प्रतिश्ठानों द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं। ऑर्डनेन्स कारखानों द्वारा निर्मित 250 से अधिक वस्तुओं को गैर–कोर के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वस्तुओं में से कुछ की आपूर्ति के लिए निजी खिलाड़ियों को आर्डर दिए गए हैं। सरकार हमारे सैनिकों और अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले 5 ऑर्डनेंस कारखानों के बंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और यह 1600 महिला दर्जियों सहित हजारों मजदूरों को बेरोजगार बना देगी। प्रतिरक्षा पीएसयू और शिपयार्ड के साथ भी काम के ऑर्डर्स देने के संबंध में भेदभाव किया जा रहा है जबकि निजी निगमों को प्रतिरक्षा खरीद सौदों में सरकार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।

सड़क परिवहन पर हमला

निजी पार्टियों को रुट परमिट जारी करके सार्वजनिक क्षेत्र के सड़क परिवहन को खत्म करने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार नया मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2017 को जल्द ही संसद में पारित करने का इरादा रखती है जो एक ओर सड़क परिवहन के थोक निजीकरण की अनुमति देगा और वहीं निजी क्षेत्र में कार्यरत सहित सड़क परिवहन मजदूरों पर कठोर शर्तों को लागू करेगा। इस सम्मेलन ने महाराष्ट्र के सड़क परिवहन मजदूरों को सलाम करता है, जिन्होंने सरकार के सभी दमनकारी उपायों और कुछ काले भेड़ियों के उपयोग के बावजूद भी 4 दिनों की राज्यव्यापी आम हड़ताल में उत्कृष्ट संचार कौशल, कठोर दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और एकता का प्रदर्शन किया।

यह सम्मेलन में मोटर वाहन संशोधन विधेयक के खिलाफ 7 अगस्त 2018 को सड़क परिवहन मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल में व्यापक रूप से शामिल होने को रेखांकित करता है। सम्मेलन परिवहन क्षेत्र में जन–विरोधी और मजदूर–विरोधी कदमों आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा और राजस्थान सहित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की निंदा करता है।

पीएसबी और एनपीए पर हमला

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर विभिन्न विधायी और कार्यकारी उपायों के माध्यम से हमला किया जा रहा है, अंततः निजीकरण और ऋण का भुगतान करने के बकायेदार निजी धोखेबाजों के अनुचित पक्ष को विस्तारित करने के कारण बैंकिंग क्षेत्र को गंभीर कठिनाइयों में डाल दिया है। एनपीए की समस्याओं को हल करने और कॉरपोरेट बकायेदारों को ठीक करने के बजाय, सरकार बैंकों के विलय की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है, जो वास्तव में कई शाखाओं को बंद कर देगी जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी का बढ़ावा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पहुँच को कम कर देगा। एनपीए 13 लाख करोड़ रुपये का पार कर गया है। ललित मोदी और विजया माल्या के बाद, अब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने भी भारतीय बैंक प्रणाली को छल लिया है और भारतीय जनता के पैसे की लूट करके भाग गये हैं।

सरकार एफ.आर.डी.आई. विधेयक लायी, लेकिन बैंक यूनियनों के सख्त विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। लेकिन, अब, सरकार दिवाला और दिवालियापन कोड कानून लेकर आयी है।

सामाजिक सुरक्षा संहिताः मौजूदा सामाजिक सुरक्षा संरचनाओं का विघटन

नवीनतम 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' के तहत, ईपीएफओ, सीएमपीएफ और ईएसआई और अन्य विधिकों के तहत मौजूदा सांविधिक सामाजिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को खत्म करके 'सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण' के नाम पर कल्याण से संबंधित सभी सेस को खत्म करके और 24 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विषाल संचित सामाजिक सुरक्षा निधि को शेयर बाजार के लिए उपलब्ध कराने की नवीनतम धोखाधड़ी है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों (ओएसएच) पर प्रस्तावित संहिता फैक्ट्री और सेवा क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण सहित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक बहुत ही खतरनाक कदम है।

ट्रेड यूनियन अधिनियम में संशोधन

ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 का नवीनतम संशोधन जिसमें सरकार केंद्रीय और राज्य स्तर के ट्रेड यूनियनों की परिभाषा को धारा 28 ए और 29 में संषोधन करके ट्रेड यूनियनों के कामकाज में हस्तक्षेप करने और आंतरिक मामलों में निर्देशित करने के इरादे से बदलना चाहता है और विभिन्न नामों के तहत ''हायार एण्ड फायर'' को सुविधाजनक बनाने के लिए और मजदूर समर्थक केंद्रीय और राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियनों की मान्यता को समाप्त करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

किसानों के साथ एकता

मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए एसटी के संघर्ष समेत किसानों के संगठनों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच के तहत विभिन्न राज्यों में किसानों के संघर्षों के साथ पूर्ण एकजुटता जाहिर की है। यह वही कॉरपोरेट समर्थक, भू–स्वामी समर्थन नीतियाँ है जिन्होने अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी आजीविका प्रदाता, कृषि में गंभीर संकट पैदा किया है, और आत्महत्याओं में निरंतर वृद्धि का कारण है। किए गए वादे अनुसार उत्पादन की लागत के ड़ेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का नहीं दिया गया था, बल्कि सरकार ने एमएसपी की घोषणाओं के जरिये भी कृषक समुदाय के साथ धोखाधड़ी की गई है।

सरकार के सांप्रदायिक और आधिकारिक कदम

राष्ट्रीय सम्मेलन ने सरकार पर समाज में सरकारी मशीनरी के सक्रिय संरक्षण में चल रहे सांप्रदायिक और विभाजनकारी कारगुजारियों की निंदा की है। सांप्रदायिक ताकतों में समाज के भीतर गैर–मुद्दों पर संघर्ष का माहौल पैदा कर रही हैं। यह मजदूरों और आम तौर पर मेहनतकशों की उस एकता को बाधित कर रहा है, जो हमारे 12 सूत्रीय मांगों के चार्टर के आधार पर चल रहे संघर्शों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भाजपा सरकारें क्रूर यूएपीए, एनएसए के साथ–साथ सीबीआई, एनआईए, आईटी की एजेंसियों को परेशान करने और किसी भी असहमति की राय को दबाने के लिए उपयोग कर रही हैं। देश में शांतिप्रिय धर्मनिरपेक्ष जनता को शांति के बजाय आतंक और असुरक्षा की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

उद्योग व क्षेत्र

निर्माण

सी डब्ल्यू एफ आइ का 9वाँ सम्मेलन

कंस्ट्रक्शन वक्रर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का 9वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 26–28 अक्टूबर, 2018 तक महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ। इसमें 21 राज्यों से 44 महिला प्रतिनिधियों सहित 416 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू महासचिव तपन सेन ने किया जिन्होंने पुरे समय उपस्थित रह कर सम्मेलन को दिशा प्रदान की। सम्मेलन को सीटू के राष्ट्रीय सचिव ई करीम, सांसद तथा सीटू के राष्ट्रीय सचिव व डब्ल्यू एफ टी यू के उप महासचिव स्वदेश देव रॉय ने भी सम्बोधित कर बधाई दी।

सी डब्ल्यू एफ आइ के महासचिव देबांजन चक्रवर्ती ने रिपोर्ट व भविष्य के कार्य प्रस्तुत किये। 21 राज्यों व 3 केन्द्र शासित प्रदेशों से 36 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया रिपोर्ट पर चर्चा पर के जवाब के उपरांत रिपोर्ट, भविष्य के कार्य व अकांऊट को सर्व सम्पति से पारित किया गया।

एक विशेष सत्र में कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर मालती चिट्टीबाबू द्वारा पेश रिपोर्ट पर चर्चा हुई। 14 राज्यों से 19 प्रतिनिधि इस चर्चा में शामिल हुए व अपने अनुभव साझा किये। चर्चा का समापन महासचिव द्वारा किया गया। सम्मेलन मे 8–9 जनवरी, 2019 की मजदूरों की आम हड़ताल, हरियाणा परिवहन मजदूरों की हड़ताल के साथ एकजुटता में तथा साम्प्रदायिक व विभाजनकारी शक्तियों के विरूद्व प्रस्ताव पारित किये। सम्मेलन ने भारत को बचाने के लिए चुनावों में भाजपा को हराने का जोरदार आह्वान किया। सम्मेलन ने 8–9 जनवरी की मजदूरों की हड़ताल को कामयाब बनाने और अगले आम चुनाव में भाजपा व उसके सहयोगियों को हराने तथा वाम व जनवादी ताकतों को जिताने के आंदोलनात्मक कार्य तथा संगठन के बारे में 9 सूत्रीय कार्य भी पारित किये।

सम्मेलन मे सर्वसम्मति से 135 सदस्यीय राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी तथा 48 पदाधिकारियों का चुनाव किया जिनमें सुखबीर सिंह को अध्यक्ष तथा वी शशि कुमार को महासचिव चुना गया।

सम्मेलन का समापन सोलापुर में मजदूरों की एक विशाल रैली के साथ हुआ जिसे सीटू महासचिव तपन सेन, सीटू के महाराष्ट्र के नेता आदम मास्टर तथा सी डब्ल्यू एफ आइ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखबीर सिंह ने संबोधित किया।

रेलवे

सीटू के नेतृत्व में ए.आई.एल.आर.एस.ए. प्रतिनिधिमंडल रेलवे बोर्ड चेयरमेन से मिला

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) का एक प्रतिनिधिमंडल सीटू महासचिव तपन सेन व राष्ट्रीय सचिव ई करीम, सांसद के नेतृत्व में 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी से मिला और ज्ञापन सौप कर लोको रनिंग स्टाफ को रनिंग भत्ते– किलोमीटर भत्ता (के.एफ.ए.) तथा पेंशन में एकरूपता के वाजिब दावों से उन्हें वंचित करने के मुद्दो का समाधान करने पर चर्चा की। लोहानी ने आश्वासन दिया कि मुद्दों पर ध्यान देकर जल्द समाधान किया जायेगा।

ए.आई.एल.आर.एस.ए., 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने की तारीख 1 जुलाई, 2017 से उसमें सिफारिश की गई टी.ए. दरों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर, 1 जनवरी, 2016 को तन्ख्वाह निर्धरण के बाद से वास्तविक पे के 30% की दर से के.एम.ए. को वास्तविक पे की बजाय न्यूनतम पे अधिसूचित किया।

सरकार की अधिसूचिना व संबंधित मंत्रालय के आदेश से दूर हटते हूए, रेलवे बोर्ड 1 जनवरी 2016 से पहले व उसके बाद सेवानिवृत हुए व अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान में भेदभाव कर रहा है। ए.आई.एल.आर.एस.ए. ऐसे भेदभाव को दूर करने तथा पेंशन में एकरूपता की माँग कर रहा है।

राज्यों से

हरियाणा

सड़क परिवहन मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के हरियाणा पथ परिवहन के मजदूरों की 18 दिन तक चली ऐतिहासिक हड़ताल, जिसे राज्य के अन्य सभी तबकों के मजदूरों व कर्मचारियों का भारी समर्थन व ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी एकजुटता व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, 3 नवम्बर को, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक जन हित याचिका में भाजपा सरकार को पीछे हटाने वाले हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुई। उच्च न्यायालय का हतक्षेप 2 नवम्बर, 2018 को एक अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारियों निंलबनों बर्खास्तगियों व अनुशासनात्मक कारवाईयों एस्मा के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाईयों समेत सभी दंडात्मक व बदले की कारवाईयों पर रोक लगाते हुए सरकार को निंदेश दिया कि कर्मचारियों को तुरन्त काम पर आने दिया जाना चाहिये; दोनों पक्षों को परिवहन मजदूरों की माँगों पर द्विपक्षीय चर्चा करने के निंदेश के साथ 14 नवम्बर को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की।

हड़ताल

हरियाणा रोडवेज मजदूरों ने किलोमीटर योजना के तहत सरकार द्वारा 720 निजी बसों को किराये पर लेकर निजीकरण की कोशिश के विरोध में 16 अक्टूबर, 2018 से समयबद्ध विस्तारित हड़तालें शुरू की। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जे.ए.सी.) ने 3 नवम्बर को उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप व खुले आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त करते हुए सरकार की निजीकरण की किसी भी कोशिश के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है।

सरकार द्वारा दमन

18 दिनों की हड़ताल के दौरान, हरियाणा की भाजपा सरकार ने सड़क परिवहन मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए एस्मा के अंतर्गत 1489 मामले दर्ज करने व 241 मजदूरों को गिरफ्तार करने सहित दमन की नीति अपनाई। 418 मजदूरों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 107 व 151 के अंतर्गत 418 मजदूरों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया; लगभग 350 ठेका मजदूरों समेत 400 से अधिक मजदूरों को बर्खास्त किया गया; 406 मजदूरों को निलंबित किया गया। यही नहीं सरकार ने कितने ही ट्रांसपोर्ट व समर्थन करने वाले मजदूरों पर भी आई पी सी की धाराओं –147,148,186,322,352,341,427,307, व 120 बी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने के आरोप में मामले दर्ज किये; कितने ही अन्य मजदूरों व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू. एफ., एटक व इंटक के यूनियन कार्यालयों को कई स्थानों पर सील कर दिया गया।

राज्यव्यापी एकजुटता व समर्थन

इस दमन के बावजूद, परिवहन मजदूरों व अन्य समर्थन कर रहे मजदूरों व कर्मचारियों नें अपनी हड़ताल व संघर्ष को जारी रखा। इस संघर्ष में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बैनर तले, सरकारी कर्मचारी व शिक्षक 26 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर रहे और 30 व 31 अक्टूबर, 2018 को उन्होने दो दिन की भारी राज्यव्यापी हड़ताल की। सरकार के रिकार्ड के अनुसार ही इन दो दिनों में 2.5 लाख कर्मचारी व शिक्षक हड़ताल पर रहे।

18 दिन की परिवहन मजदूरों की इस हड़ताल को भारी संख्या में ग्रामीण व शहरी इलाकों के स्थानीय निकायों के निवार्चित सदस्यों के समर्थन के साथ राज्य भर में आम जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। हड़ताल रोडवेज वर्कर्स, सर्व कर्मचारी संघ सीटू व किसान सभा के नेताओं ने रोडवेज के निजीकरण व सरकार के दमन के विरोध में सधन व तीखा अभियान चलाया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, ट्रैक्टरों व ट्रॉलियों में भर कर कई जिला मुख्यालयों पर हड़ताली कर्मचारियों के विशाल धरनों में शामिल हए।

विरोध के बढते ज्वार ने सरकार पर दबाव बना दिया। ऐसी चर्चा आम है कि सरकार के कहने पर ही रास्ता निकालने के लिए हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में जन हित याचिका दाखिल की गई।

त्यौहारों व लोगों की मुश्किलों को देखते हुए भी हड़ताली परिवहन मजदूरों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने हड़ताल को समाप्त करने और कोर्ट के उपरोक्त आश्वासनों को देखते हुए इसकी सूचना कोर्ट को देने का फैसला लिया। लेकिन संघर्परत मजदूर व उनके संगठन, किलोमीटर योजना के तहत निजी बसों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने, नई रोडवेज बसें लगाने तथा बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए कटिबद्व है।

देशव्यापी व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

सीटू ने राज्य सरकार के दमनकारी कदमों का कड़ा विरोध करते हुए इसके देशव्यापी विरोध व हरियाणा के मुख्यमंत्री को विरोध पत्र भेजने का आह्वान किया। इसके प्रत्युतर में हजारों की संख्या में पत्र मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुँचे। कई राज्यों में एक जुटता कार्यक्रम आयोजित किये गये। पंजाब में, कई स्थानों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया।

10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने दमन व बदले की कारवाई की निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किया तथा सभी गिरफ्तार कर्मचारियों की तुरन्त रिहाई तथा उन पर बनाये गये मामलों को वापस लेने सभी बर्खास्तगियों, निलंबनो को वापस लेने; सार्वजानिक परिवहन के निजीकरण के सभी कदमों को रोकने तथा जे.ए.सी. के साथ तुरन्त द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने की माँग की है।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यु.एफ.) ने हड़ताल का पूरा समर्थन किया उसके नेताओं ने आंदोलन में भाग लिया तथा हड़ताली मजदूरों को बधाई दी इसकी राज्य इकाईयों व यूनियनों ने एकजुटता व्यक्त की। आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के रोड ट्रॉसपोर्ट निगम वर्कर्स ने वितीय सहयोग दिया जिसे ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के उप महासचिव आर. लक्ष्मैया द्वारा जे.ए.सी. को सौंपा गया।

130 देशों में 9 करोड़ 50 लाख मजदूरों का प्रतिनितित्व करने वाले वर्ल्ड फडेरशेन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्ल्यू.एफ.टी.यू.) ने 25 अक्टूबर को एथेंस से बयान जारी कर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स को उनकी सफल हड़ताल व सरकार के दमन का सामना करते हुए निजीकरण के खिलाफ उनके बहादुराना संघर्ष के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए बधाई दी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के कर्मचारियों की हड़ताल; मिली शानदार जीत

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से सम्बंधित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के कर्मचारियों ने सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ 3 से 5 अक्टूबर, तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। 16 दिन की हड़ताल के बाद 24 मई को सरकार द्वारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ किए समझौते को लागू न करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया था। 3 अक्टूबर को शुरू हुई हड़ताल के बाद ही सरकार को 4 अक्टूबर को नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा को बातचीत के लिए आंमत्रित करने पर मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री व शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को सौंपी। हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में करीब डेढ़ धंटे चली बातचीत में सरकार को हड़ताली कर्मचारियों के सामने झुकने और कर्मचारियों की कई माँगें मानने पर मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद कर्मचारियों ने तीन दिवसीय हड़ताल को समाप्त कर दिया।

इस मीटिंग में आउटसोर्सिंग नीति पार्ट–2 में लगे करीब 10 हजार सफाई कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन देने, ठेकेदारों के मार्फत ठेके आधार पर लगे कर्मचारियों का ठेका समाप्त कर सभी कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने, आउटसोर्सिंग नीति पार्ट–1 में लगे बाकी सफाई कर्मचारियों को 15 हजार रूपए न्यूनतम वेतनमान देने, फायर आपरेटरों की 1646 पदों की भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर नयी षर्तों के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, जिसमें पहले से काम कर रहे फायर मैन व ड्राइवरों को अनुभव के प्रति वर्श दो अंक, अधिकतम 10 अंक देने, पहले से लगे कर्मचारियों को फिजिकल व लिखित टैस्ट से छूट देने, जिन फायर मैन व ड्राइवरों का चयन नयी भर्ती में नहीं होगा, उनकी भी नौकरी सुरक्षित करने, फायर ब्रिगेड स्टाफ का सेवा विस्तार तीन महीने की बजाय एक वर्ष का करने, 24 जून को ठेका समाप्त करने के पत्र जारी होने से नौकरी से बाहर हुए करीब दो हजार कर्मचारियों को नौकरी से बाहर होने की तारीख से ही ड्यूटी पर लेने, विभाग में ग्रुप सी व डी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों को नीति बनाकर आऊटसोर्सिंग नीति पार्ट 2 में करने, ईपीएफ व ईएसआई के करीब 200 करोड़ के घोटाले की स्टेट विजिलेंस से जांच कराने, एस्क्रो खाते खोल कर ईपीएफ व ईएसआई का पैसा सीधा कर्मचारियों के खाते में जमा करवाने आदि मांगों को सरकार द्वारा मान लिया गया है। जिसके पत्र शीघ्र जारी करने का आश्वासन प्रधान सचिव ने दिया। दो दिन चली हड़ताल को भी ड्यूटी पीरियड माना जाएगा।मीटिंग में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, संयुक्त निदेशक (अग्निशमन) रणबीर पराशर और कर्मचारियों की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाश लांबा, नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेषाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव जरनेल सिंह,उप महासचिव शिव चरण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक बोहत, उप प्रधान राजेंद्र सिन्द, सचिव सुनील कुमार, मुख्य संगठनकर्ता अशोक थौरियां, सचिव माँगें राम तिगरा, राजेश बागड़ी, सेवा राम, पुरषोत्तम दानव आदि उपस्थित थे।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि समझौते के बावजूद निकाय विभाग के 32 हजार कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जन अभियान, 28 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्रियों के आवासों के घेराव व 15 नवम्बर की प्रदेशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे और वर्क आऊटसोर्स व फायर से ठेका समाप्त करने, ठेका कर्मचारियों को पक्का करवाने, पुरानी पेंषन स्कीम व एक्स–ग्रेसिया रोजगार स्कीम को बहाल करवाने, मकान किराए भत्ते में बढ़ोतरी करवाने आदि माँगों को लेकर आन्दोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के कर्मचारी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 8–9 जनवरी, 2019 को आयोजित होने वाली दो दिवसीय हड़ताल में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। (योगदान सुभाष लांबा)

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	tu 2018	tykbZ 2018	jkT;	dn	tu 2018	tykbZ 2018
vk/k izns'k	xqVwj	284	282	महाराष्ट्र	मुम्बई	297	295
	fot;okM+k	285	285		ukxiqj	361	366
	fo'kk[kkiÿue	289	291		ukfld	334	336
vle	MeMek frulqf[k;k	271	271		iq.ks	314	317
	xqokgkVh	260	261		'kksykiqj	309	313
	ycd flYpj	263	264	mMhlk	vkSjaxkcknkypqj	318	319
	efj;kuh tkjgkV	253	253		jkmjdsyk	310	311
	jxkikjk rstiqj	252	251	ikfMpsfj	ikfMpsfj	311	302
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	323	320	iatkc	verlj	321	321
p.Mhx<+	p.Mhx<+	303	304		tkyU/kj	303	303
NÿkhlxM+	fHkykbZ	322	324		ys/k;kuk	286	287
fnYyh	fnYyh	286	287	jktLFkku	vtesj	279	280
Xkksok	xksok	332	325		HkhyokM+k	281	280
Xqtjkr	vgenkckn	274	276		t;iqj	287	291
	Hkkouxj	292	292	rfeyukMq	pUuS	272	271
	jktdksV	290	289		dk;EcVwj	276	275
	lwjr	263	265		dUuwj	314	314
	oMksnjk	270	272		enqjkbZ	282	281
gfj;k.kk	Qjhnkckn	273	273		lsye	283	282
	;euk uxj	287	287		fr#fpjkiYyh	293	293
fgekpy	fgekpy çns'k	267	266	rsyaxkuk	xknkojh[kkuh	311	311
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	270	271		gSnjkckn	253	253
>kj[k.M	ckdkjks	293	293		okjaxy	309	309
	fxfjMhg	330	329	f=ipqjk	f=ipqjk	264	265
	te'knsiqj	348	345	mÿkj çns'k	vkxjk	347	347
	>fj;k	340	346		xkft;kckn	320	319
	dksMek	365	365		dkuiqj	328	325
	jkph gfV;k	365	366		y[kuÅ	323	321
dukVd	cqyxke	298	298		okjk.klh	314	317
	cqxyk#	290	290	if'pe cxky	vklulksy	324	326
	gcyh /kkjokM+	317	318		nkftfyax	274	276
	ejdjk	305	305		nqxkiqj	320	320
	eSlwj	303	305		gfYn;k	330	332
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	310	305		gkoM+k	284	285
	eq.MkD;ke	307	304		tkyikbZxqM+h	286	281
	fDoyku	347	342		dksydkrk	283	283
e/; çns'k	Hkksiky	313	313		jkuhxat	280	280
	fNUnokM+k	296	296		flyhxqM+h	271	273
	bUnkSj	275	274	vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**301**	**301**
	tcyiqj	308	309				

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

चेन्नई में ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स मजदूरों का संघर्ष

(रिपोर्ट पृष्ठ 19)

यामाहा मजदूर हड़ताल पर

एम एस आई मजदूर हड़ताल पर

रॉयल एनफील्ड मजदूर हड़ताल पर

यामाहा के समक्ष अन्य मजदूरों की एकजुटता रैली

नेताओं को गिरफ्तार किया

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/11/2018)

हरियाणा सड़क परिवहन मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

(रिपोर्ट पृष्ठ 24)

हड़ताली मजदूर और ठप्प पड़े डिपो

मजदूरों के विरोध पर पुलिस के हमले

ट्रेड यूनियनों का संयुक्त विरोध मार्च और पुलिस का अवरोध

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**